परिवहन अनुभाग–1

संख्या–1397/ix-1/2016/134/2013

देहरादून दिनांक16 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना संख्या–1397/ix-1/302 (2007)दिनांक 16 दिसम्बर,2016 द्वारा प्रख्यापित **"उत्तराखण्ड मोटरयान (चतुर्थ संशोधन)नियमावली,2016'** की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.निजी सचिव,मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

2.निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।

3.निजी सचिव,अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।

4.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव उत्तराखण्ड शासन।

5.परिवहन आयुक्त,उत्तराखण्ड, देहरादून।

6.आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमॉऊ मण्डल,उत्तराखण्ड।

7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8.गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।

9.अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियां परिवहन विभाग को यथाशीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिषद,देहरादून।

संलग्न–यथोक्त।

आज्ञा से,

(**प्रकाश चन्द्र जोशी**)

उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–1397/ix-1/302(2007)/2016
देहरादून दिनांक 16 दिसम्बर, 2016

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 28, 65, 96, 111, 138 एवं धारा 176 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये उसकी धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित उत्तराखण्ड के सरकारी गजट में दिनॉक 29 अप्रैल, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 270/IX-1/302(2007)/2016 द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड मोटरयान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का नाम उत्तराखण्ड मोटरयान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 है।

(2) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परन्तु नियम 52 उस तिथि से प्रभावी होगा, जो राज्य सरकार द्वारा पृथक से राजपत्र में अधिसूचित की जाय।

नियम 2 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है के नियम 2 में–

(क) खण्ड (क) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे अर्थात–

(क1) "दुर्घटना" से सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटरयान के प्रयोग से हुयी दुर्घटना अभिप्रेत है।

(क2) "अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी" से किसी पुलिस थाना के थानाध्यक्ष या उसके अधीनस्थ या उससे वरिष्ठ कोई पुलिस अधिकारी, जिसे दुर्घटना से सम्बन्धित अन्वेषण सौंपा गया है, अभिप्रेत है।

(क3) "अपर सचिव" से राज्य परिवहन प्राधिकरण में राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है।

(ख) खण्ड (त) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

(त1) "रेडियो टैक्सी" से आवश्यक विशिष्टियों से युक्त मोटर कैब अभिप्रेत है।

(त2) "स्कूल कैब" से किसी विद्यालय या कालेज के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उसके मान्यता प्राप्त अभिभावक शिक्षक संघ के नियंत्रणाधीन ऐसा मोटर कैब/मैक्सी कैब अभिप्रेत है जिसका उपयोग विद्यार्थियों को विद्यालय/कालेज लाने–ले जाने के लिये होता है।

नियम 4 का 3 मूल नियमावली के नियम 4 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

संशोधन

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
4 चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिये देय फीस– धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिये देय फीस बीस रूपये होगी। यदि ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिये कोई सम्यक सशक्त डाक्टर किसी विशेषज्ञ से इस प्रयोजन के लिये राय की अपेक्षा करता है और ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सशक्त किसी अन्य डाक्टर से राय लेता है तो ऐसे विशेषज्ञ की राय के लिये फीस प्रत्येक विशेषज्ञ के लिये बीस रूपये अतिरिक्त होगी।	**4 चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिये देय फीस**– **धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिये देय फीस और यदि ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिये कोई सम्यक सशक्त डाक्टर किसी विशेषज्ञ से इस प्रयोजन के लिये राय की अपेक्षा करता है और ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सशक्त किसी अन्य डाक्टर से राय लेता है तो ऐसे विशेषज्ञ की राय के लिये देय फीस परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित कर अधिसूचित की जायेगी।**

नियम 12 4 का संशोधन

मूल नियमावली के नियम 12 के उपनियम (6) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(6) किसी परिवहन यान की चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से पूर्व आवेदक को राज्य सरकार द्वारा स्थापित अथवा अधिकृत चालक प्रशिक्षण संस्थान में से किसी में दो दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण अनुकम के अधीन रहना होगा और अन्य औपचारिकताओं के साथ उक्त पुनश्चर्या अनुकम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जा सकेगा। विभिन्न जनपदों के आवेदकों के लिये अधिकृत चालक प्रशिक्षण संस्थान के सम्बन्ध में	(6) किसी परिवहन यान की चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से पूर्व आवेदक को राज्य सरकार द्वारा स्थापित अथवा अधिकृत चालक प्रशिक्षण संस्थान में से किसी में हल्के मोटरयान के मामलें में एक दिवस और मध्यम या भारी मोटरयान के मामलें में दो दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण अनुकम के अधीन रहना होगा और अन्य औपचारिकताओं के साथ उक्त पुनश्चर्या अनुकम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

आदेश परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे। विभिन्न चालक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण एवं पुनःश्चर्या के सम्बन्ध में शुल्क का निर्धारण समय–समय पर परिवहन आयुक्त द्वारा अधिसूचना के माध्यम से किया जायेगा।		विभिन्न जनपदों के आवेदकों के लिये अधिकृत चालक प्रशिक्षण संस्थान के सम्बन्ध में आदेश परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे। विभिन्न चालक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण एवं पुनःश्चर्या के सम्बन्ध में शुल्क का निर्धारण समय–समय पर परिवहन आयुक्त द्वारा अधिसूचना के माध्यम से किया जायेगा।

नियम 12ख एवं 12ग का बढाया जाना

5 मूल नियमावली के नियम 12क के पश्चात निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात–

12ख पता एवं आयु के साक्ष्य हेतु अन्य अभिलेख– केन्द्रीय नियमावली के नियम 4 में विनिर्दिष्ट अभिलेखों के अतिरिक्त मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति तथा मोटरयान रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र हेतु यथास्थिति अनुज्ञापन प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा आवेदक के (1) मतदाता पहचान पत्र, (2) आधार कार्ड, (3) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाणपत्र को भी आयु एवं पता के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

12ग चालन अनुज्ञप्ति का वितरण– केन्द्रीय नियमावली के नियम 16 के अन्तर्गत जारी चालन अनुज्ञप्ति आवेदक को केन्द्रीय नियमावली के नियम 14 के अन्तर्गत उसके द्वारा दिये गये आवास के पते पर जिस दिन अनुज्ञप्ति तैयार हो जाय अथवा उसके अगले कार्यदिवस को पंजीकृत डाक से भेजी जायेगी। जिसकी रसीद अभिलेख हेतु सुरक्षित रखी जायेगी। इसके लिये आवेदक को अपना पता लिखा लिफाफा जिस पर पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित डाक टिकट लगे हो चालन अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।

नियम 19क एवं 19ख का बढाया जाना

6 मूल नियमावली के नियम 19 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिये जायेगें, अर्थात–

19क शिक्षार्थी चालक अनुज्ञप्ति के लिये पूर्व परीक्षा–शिक्षार्थी चालक अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी केन्द्रीय नियमावली के नियम 11 के उपनियम (1) में विहित विषयों की समुचित जानकारी एवं समझ होने के सम्बन्ध में प्रत्येक आवेदक की परीक्षा लेगा। यह परीक्षा मैनुअल अथवा कम्प्यूटराईजड अथवा आनलाईन वेब आधारित होगी।

19ख चालक प्रशिक्षण संस्थान के लिये अतिरिक्त शर्तें– केन्द्रीय नियमावली के नियम 24 से 31क के उपबन्धों के अतिरिक्त राज्य में प्रत्येक चालक प्रशिक्षण संस्थान के लिये निम्नलिखित शर्तें होंगी–

(एक)– संस्थान में केन्द्रीय नियमावली के नियम 24 के उपनियम (3) के

खण्ड (दो) में उल्लिखित समुचित स्थान के अनुरूप 1000 वर्ग फुट का आच्छादित क्षेत्र होगा। जिसमें कार्यालय, व्याख्यान हाल एवं नमूना प्रदर्शन का कमरा, शौचालय व स्नानगृह होगा। इसके अतिरिक्त वाहनों की पार्किंग हेतु आवश्यकतानुसार पर्याप्त क्षेत्र होगा।

(दो)– संस्थान के अनुज्ञापी द्वारा कम से कम 1,00,000 रूपये की बैंक गारण्टी देनी होगी। जिसे संस्थान की मान्यता की अवधि तक बनाये रखना होगा।

(तीन)– संस्थान के अनुज्ञापी के पास उसके नाम से पंजीकृत दो या उससे अधिक दोहरी नियंत्रण सुविधायुक्त वाहन होंगे, जो केवल प्रशिक्षण हेतु ही प्रयुक्त होंगे।

(चार)– संस्थान में केन्द्रीय नियमावली के नियम 24 के उपनियम (3) के खण्ड (छ) में विनिर्दिष्ट उपकरणों के अतिरिक्त यथास्थिति हल्के मोटर वाहन चालकों और/या भारी मोटर वाहन चालकों के प्रशिक्षण हेतु समुचित सेमुलेटर होगा।

(पांच)– संस्थान द्वारा एक वाहन में औसतन प्रतिमाह, प्रति प्रशिक्षक 24 प्रशिक्षणार्थियों की संख्या निर्धारित की जायेगी।

(छः)– संस्थान में केन्द्रीय नियमावली के नियम 24 के उपनियम (3) के खण्ड (आठ) में विनिर्दिष्ट योग्यताधारी प्रशिक्षक को प्रशिक्षण देने के लिये अधिकृत करने हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिये प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा जिसे प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जायेगा।

(सात)– केन्द्रीय नियमावली के नियम 27 के खण्ड (क) एवं खण्ड (ज) के अधीन विहित प्रपत्र 14 व प्रपत्र 15 में संस्थान में धारित रजिस्टरों का निरीक्षण अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी जो सहायक सम्भागीय निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो, द्वारा किया जायेगा।

(आठ)– संस्थान द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण के विषय में एक पाठय सामग्री जिसमें वाहन के रखरखाव के बारे में जानकारी दी गयी हो तथा अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दिये गये सभी संकेत हो, प्रशिक्षणार्थियों को देना होगा जिन्हे शिक्षण चालक अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा देखा जा सकेगा।

(नौं)– संस्थान द्वारा केन्द्रीय नियमावली के प्रपत्र 5 पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों के नमूने के हस्ताक्षर अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। राज्य के समस्त मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची उपसम्भागीय, सम्भागीय परिवहन कार्यालयों एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय के स्तर पर रखी जायेगी।

(दस)– संस्थान द्वारा दिये जाने वाले अवकाश, प्रशिक्षण व व्याख्यान की सूचना पूर्व में निर्धारित कर अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी

होगी।

(ग्यारह)– संस्थान का निरीक्षण अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा वर्ष में एक बार, सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा वर्ष में दो बार तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) द्वारा वर्ष में चार बार किया जायेगा तथा इसकी निरीक्षण आख्या की प्रति अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(बारह)– संस्थान द्वारा प्रतिमाह प्रतिवाहन प्रशिक्षणार्थियों की सूची उसके ठीक अगले माह की 15वीं तारीख तक परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं सम्बन्धित अनुज्ञापन प्राधिकारी जिसके क्षेत्रान्तर्गत संस्थान अवस्थित है, भेजी जायेगी। सूची में प्रशिक्षणार्थी का नाम, उसके पिता का नाम, पता, जन्म तिथि, प्रशिक्षण अवधि तथा उसको दिये गये प्रमाणपत्र की संख्या अंकित होगी।

(तेरह)– संस्थान द्वारा परिवहन आयुक्त स्तर से समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

नियम 21 का संशोधन 7 मूल नियमावली के नियम 21 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ 2** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
21 कण्डक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता– कण्डक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा होगी, परन्तु यह नियम ऐसे व्यक्ति पर प्रवृत्त नहीं होगा जिसने इन नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक के पूर्व कण्डक्टर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लिया हो।	**21 कण्डक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता–** कण्डक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा होगी, साथ ही आवेदक को केन्द्रीय नियमावली के नियम 31 के भाग 'ट' में उल्लिखित विषयों पर रेड़ क्रास सोसाइटी या अधिकृत चिकित्सक का प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परन्तु यह नियम ऐसे व्यक्ति पर प्रवृत्त नहीं होगा जिसने इन नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक के पूर्व कण्डक्टर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर

लिया हो।

नियम 40 का संशोधन 8 मूल नियमावली के नियम 40 के उपनियम (8) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम बढा दिया जायेगा, अर्थात–

(9) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 62 के परन्तुक में उल्लिखित निरीक्षणकर्ता अधिकारी अधिनियम की धारा 213 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित योग्यताधारक रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, ज्येष्ठ मोटरयान निरीक्षक या मोटरयान निरीक्षक होगा।

नियम 51 का संशोधन 9 मूल नियमावली के नियम 51 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ 2** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
51 रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट– निम्नलिखित विवरणों के मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण के लिये कोई फीस नहीं ली जायेगी– **(1)** कृषि प्रयोजनों के लिये अनन्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टर, ट्रेलर और लोकोमोटिव; **(2)** पूर्त संस्थाओं के स्वामित्वाधीन और केवल बीमारों या घायलों को ले जाने के लिये अनन्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले मोटर एम्बुलेंस; **(3)** ऐसे मोटरयान जो सरकार के स्वामित्वाधीन हो या तत्समय सरकार की सेवा में हो।	**51 रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट–** निम्नलिखित विवरणों के मोटरयानों को रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से उनके सम्मुख विनिर्दिष्ट सीमा तक छूट होगी– (1) कृषि प्रयोजनों के लिये अनन्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टर, ट्रेलर और लोकोमोटिव– दस प्रतिशत (2) पूर्त संस्थाओं के स्वामित्वाधीन और केवल बीमारों या घायलों को ले जाने के लिये अनन्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले मोटर एम्बुलेंस– पच्चीस प्रतिशत (3) ऐसे मोटरयान जो सरकार के स्वामित्वाधीन हो– पूर्ण छूट

नियम 52 का 10 मूल नियमावली के नियम 52 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा,

संशोधन

अर्थात–

स्तम्भ– 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
52 रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का दिया जाना (1) मोटर यानों को रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार दिया जायेगा।	**52 रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का दिया जाना (1)** मोटरयानों को रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार दिया जायेगा।
(2) केन्द्रीय नियमावली के प्रारूप –20 में आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ऐसी रजिस्ट्रीकरण संख्या देगा जो दी गयी अन्तिम संख्या के क्रमशः बाद में पड़ती हो और निम्नलिखित उपबन्धो के अधीन हो:–	**(2)** केन्द्रीय नियमावली के प्रारूप 20 में आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ऐसी रजिस्ट्रीकरण संख्या देगा जो दी गयी अन्तिम संख्या के कमशः बाद पडती हो और निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन हो–
(एक) परिवहन आयुक्त ऐसी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरक्षित कर सकता है जिसे राज्य सरकार के वाहनों को दिये जाने के लिये आवश्यक समझा जाय;	**(एक)** परिवहन आयुक्त राज्य सरकार के वाहनों को और परिवहन यानों को श्रेणी के आधार पर दिये जाने के लिए ऐसी रजिस्ट्रीकरण संख्या, जिसे उनकी पहचान के लिए आवश्यक समझा जाय, आरक्षित कर सकता है।
(दो) परिवहन आयुक्त समय–समय पर स्थानीय समाचार पत्रों में इस नियमावली की "द्वितीय अनुसूची" में दी गयी संख्या अधिसूचित कर सकता है जिसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिये आरक्षित किये जाने के लिये आकर्षक समझा जाय जिसने उसके लिये आवेदन किया हो और खण्ड (तीन) में यथा विहित शुल्क भुगतान कर दिया हो;	**(दो)** परिवहन आयुक्त समय समय पर इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट संख्याओं को उनकी उपलब्धता को देखते हुये अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त उनके लिये 10,000 रूपये शुल्क को न्यूनतम आरक्षित मूल्य मानते हुये आनलाईन नीलामी हेतु वेबसाइट पर अधिसूचित कर सकता है। आनलाईन नीलामी की प्रक्रिया परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी।
(तीन) खण्ड (दो) के अधीन	**(तीन)** परिवहन आयुक्त

अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिये शुल्क की दरें निम्नलिखित होगी:–

(क) द्वितीय अनुसूची की कम संख्या –1 की रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए– रु0 1,00000

(ख) द्वितीय अनुसूची की कम संख्या–2 की रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए रु0 60,000

(ग) द्वितीय अनुसूची की कम संख्या–3 की रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए रु0 50,000

(घ) द्वितीय अनुसूची की कम संख्या–4 की रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए रु0 20,000

(ड) द्वितीय अनुसूची की कम संख्या–5 की रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए रु0 5000

परन्तु यह कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों से इस नियम के अधीन कोई फीस नहीं ली जायेगी।

(चार) किसी व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छानुसार खण्ड (दो) में अधिसूचित किसी रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिये लिखित आवेदन करने पर रजिट्रीकर्ता प्राधिकारी इस नियम में यथा विहित शुल्क, जो अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त होगा, का अग्रिम भुगतान प्राप्त करने पर "पहले आओ पहले पाओ" के सिद्धान्त के आधार पर रजिस्ट्रीकरण संख्या को आरक्षित करेगा और ऐसी संख्या आरक्षित हो जाने के बाद अन्तरणीय नहीं समय–समय पर आनलाईन बुकिंग हेतु उपनियम (2) के खण्ड (दो) में विहित संख्याओं से भिन्न आर्कषक रजिस्ट्रीकरण संख्यायें अधिसूचित कर सकता है। किसी व्यक्ति से आनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त ऐसी अधिसूचित अतिमहत्वपूर्ण रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए 10,000 रूपये, आर्कषक रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए 5,000 रूपये और महत्वपूर्ण रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए 2,000 रूपये का अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर "पहले आओ पहले पाओ" के सिद्धान्त के आधार पर रजिस्ट्रीकरण संख्या को आरक्षित करेगा और ऐसी संख्या आरक्षित हो जाने के बाद अन्तरणीय नहीं होगी। आनलाईन बुकिंग की प्रक्रिया परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(चार) आरक्षित संख्या केन्द्रीय नियमावली के प्रारूप 20 में आवेदन के साथ यान प्रस्तुत करने पर आबंटित की जायेगी। यदि आरक्षित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर यान प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या का आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार निरस्त की गयी संख्या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को आबंटित की जा सकती है जिसने इस नियम के अधीन विहित शुल्क के साथ उसके लिये आवेदन किया हो;

होगी;

परन्तु यह कि द्वितीय अनुसूची के क्रम संख्या–5 के अधीन इच्छित रजिस्ट्रीकरण संख्या आवेदन की तारीख से अधिसूचित संख्या से भिन्न क्रमानुसार दी गयी अन्तिम रजिस्ट्रीकरण संख्या से एक हजार के अन्दर होगी;

(पांच) आरक्षण शुल्क का भुगतान अग्रिम रूप से किया जायेगा तथा एक बार जमा हो जाने पर किसी भी दशा में वापस नहीं होगा;

(छः) आरक्षित संख्या केन्द्रीय नियमावली के प्रारूप 20 में आवेदन के साथ यान प्रस्तुत करने पर आबंटित की जायेगी। यदि आरक्षित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर यान प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या का आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार निरस्त की गयी संख्या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को आबंटित की जा सकती है जिसने इस नियम के अधीन विहित शुल्क के साथ उसके लिये आवेदन किया हो;

(सात) इस नियम के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या को आरक्षित करने के लिये आवेदन प्राप्त न होने की दशा में उन्हें किसी वाहन को आबंटित नहीं किया जायेगा;

परन्तु ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने संख्या आरक्षित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर यान प्रस्तुत नहीं किया हो आवेदन करने पर यथा स्थिति रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए बोली गयी अधिकतम धनराशि या आनलाईन बुकिंग हेतु खण्ड (3) में विहित शुल्क के 25 प्रतिशत की धनराशि के बराबर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर इस अवधि को 30 दिन के लिए बढ़ाया जा सकेगा जिसे किसी भी दशा में आगे नहीं बढ़ाया जायेगा।

(पांच) इस नियम के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या को आरक्षित करने के लिये आवेदन प्राप्त न होने की दशा में उन्हें किसी वाहन को आबंटित नहीं किया जायेगा;

(3) मोटर यानों को एक बार दी गई कोई संख्या किसी अन्य मोटर यान को नहीं दी जायेगी और न ही रद्द की गई मोटर यान रजिस्ट्रीकरण की संख्या किसी अन्य मोटर यान को दी जाएगी।

(4) कोई व्यक्ति उस मोटर यान से, जिसे इस नियमावली के अधीन संख्या दी गई है, भिन्न किसी यान पर रजिस्ट्रीकृत संख्या को प्रदर्शित या उसका प्रयोग नहीं करेगा।

(3) मोटर यानों को एक बार दी गई कोई संख्या किसी अन्य मोटर यान को नहीं दी जायेगी और न ही रद्द की गई मोटर यान रजिस्ट्रीकरण की संख्या किसी अन्य मोटर यान को दी जाएगी।

(4) कोई व्यक्ति उस मोटर यान से, जिसे इस नियमावली के अधीन संख्या दी गई है, भिन्न किसी यान पर रजिस्ट्रीकृत संख्या को प्रदर्शित या उसका प्रयोग नहीं करेगा।

नियम 53 का बढाया जाना 11

मूल नियमावली में नियम 53 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिया जायेगा, अर्थात–

"53क– रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का वितरण– केन्द्रीय नियमावली के नियम 48 के अन्तर्गत परिवहन यान से भिन्न मोटरयान के लिये जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मोटरयान स्वामी को केन्द्रीय नियमावली के नियम 47 के अन्तर्गत उसके द्वारा दिये गये पते पर जिस दिन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तैयार हो जाय अथवा उसके अगले कार्यदिवस को पंजीकृत डाक से भेजा जायेगा जिसकी रसीद अभिलेख हेतु सुरक्षित रखी जायेगी। इसके लिये मोटरयान स्वामी को अपना पता लिखा लिफाफा जिस पर पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित डाक टिकट लगे हो रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।"

नियम 56 का संशोधन 12

मूल नियमावली के नियम 56 के उपनियम (7) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ– 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(7) परिवहन विभाग के किसी अधिकारी को जो उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न श्रेणी का हो, राज्य सरकार द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया जायेगा।	(7) राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग के किसी अधिकारी को, जो उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न श्रेणी का हो, राज्य परिवहन प्राधिकरण का सचिव और किसी ऐसे अधिकारी को जो सहायक परिवहन आयुक्त से अनिम्न श्रेणी का हो, अपर सचिव के रूप में

नियुक्त किया जायेगा। अपर सचिव द्वारा सचिव की अनुपस्थिति में राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव के रूप में कार्य किया जायेगा।

नियम 65 का संशोधन 13 मूल नियमावली के नियम 65 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ– 1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
65 परमिट के लिये आवेदन प्रपत्र परिवहन यान के सम्बन्ध में परमिट के लिये आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्रों में किसी एक में होगा, अर्थात– **(1)** मंजिली गाडी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर 20 में; **(2)** ठेका गाडी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–21 में; **(3)** माल वाहन के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–22 में; **(4)** निजी (प्राइवेट) सेवायान के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–23 में; **(5)** अस्थायी परमिट के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–24 में; **(6)** विशेष परमिट के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–25 में;	**65 परमिट के लिये आवेदन प्रपत्र और फीस** परिवहन यान के सम्बन्ध में परमिट के लिये आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्रों में किसी एक में होगा और उसके साथ नियम 126 में विनिर्दिष्ट फीस होगी– **(1)** मंजिली गाडी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर 20 में; **(2)** ठेका गाडी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–21 में; **(3)** माल वाहन के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–22 में; **(4)** निजी (प्राइवेट) सेवायान के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–23 में; **(5)** अस्थायी परमिट के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–24 में; **(6)** विशेष परमिट के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–25 में।

नियम 125क से 125ड तक का बढाया जाना

15 मूल नियमावली में नियम 125 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

125क रेडियो टैक्सी का प्रचालन कोई भी व्यक्ति तब तक रेडियो टैक्सी सेवा प्रदाता, रेडियो टैक्सी सर्विस एग्रीगेटर अथवा आई0टी0 सर्विस प्रोवाईडर के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसके द्वारा इसके लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त न कर ली गयी हो साथ ही वह बिना वैध परमिट के रेडियो टैक्सी का व्यवसाय नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण– नियम 125क से नियम 125ड के प्रयोजनार्थ परमिट का तात्पर्य धारा 74 की उपधारा (1) के अनुसरण में स्वीकृत और राज्य सरकार द्वारा विहित किराये पर रेडियो टैक्सी परिचालित करने से सम्बन्धित नियम 125च के निर्बन्धनों के अनुसार जारी अथवा नवीकृत परमिट से है।

125ख आवेदन करने के लिये पात्रता, मानदण्ड–
आवेदक को अनिवार्यतः–

(एक) कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ, या भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन कोई पंजीकृत सोसाइटी होना चाहिए;

(दो) रेडियो टैक्सी का प्रबन्ध करने या उनका प्रचालन करने हेतु वित्तीय रूप से समर्थ होना चाहिए तथा आशय पत्र जारी होने के दिनांक को या उसके पूर्व **आवेदक को अनुज्ञप्ति के लिये परिवहन आयुक्त कार्यालय में पचास हजार रूपया शुल्क नकद जमा कराना होगा साथ ही** प्रपत्र एसआर–43क पर निष्पादन प्रत्याभूति के लिये दो लाख रूपये बैंक प्रत्याभूति जमा करना होगा।

(तीन) यह प्रदर्शित करना होगा कि उसके पास सभी टैक्सियों के लिये पर्याप्त पार्किंग स्थान, रेडियो संचार की सुविधायुक्त नियंत्रण कक्ष हेतु कार्यालय स्थान (न्यूनतम एक सौ वर्ग फिट) तथा दिन और रात सभी समय पर काल करने हेतु दो टेलीफोन लाइन है;

(चार) निम्नलिखित प्रकार की न्यूनतम दस रेडियो टैक्सियां रखन होगा–

(क)लगाये जाने के समय ऐसा प्रत्येक वाहन बिल्कुल नया होगा;

(ख)यान की इंजन क्षमता 750 सी0सी0 या अधिक होना चाहिए, जी सदृश यान यथा जिप्सी आदि प्रतिबन्धित है;

(ग)यान में तापमान नियंत्रक यंत्र तथा वातानुकूलन ताप यंत्र आदि ह समय सही दशा में अनुरक्षित होगा;

(घ)यान में सामने के पैनल (डैशबोर्ड) पर इलेक्ट्रोनिक फेयर मीटर ल होगा और उसे ठीक दशा में रखा जायेगा;

(ड)यान के छत पर लाइट इमिटिंग डायोड(एलईडी)/लिक्विड किस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) लगा होना चाहिए जिस पर यह प्रदर्शित होना चाहिए कि वाहन रेडियो टैक्सी है। एलइडी/एलसीडी प्रदर्शित करने वाला पैनल का परिमाप राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये गये मानक के अनुसार होगा;

(च) यान पर केवल इसी प्रकार के विज्ञापन अनुमन्य किये जायेगे जिससे सडक के उपयोग करने वाले को कोई असुविधा न हो और केवल सडक के किनारे खडे लोगों के लिये दृश्यमान हो। ऐसी अनुज्ञा भी तब दी जायेगी जब यह सुनिश्चित हो जाय कि सड़क सुरक्षा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी;

(छ) यान को समय समय पर निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा करना होगा;

(ज) यान में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम/जनरल पाकेट रेडियो स्विचिंग पर आधारित ट्रैकिंग उपकरण लगा होगा जो यान के ड्यूटी में रहने पर केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष से लगातार सम्पर्क में बना रहेगा;

(झ) यान में फ्रण्ट पैनल पर मोबाईल रेडियो लगा होगा जिससे चालक एवं प्रचालक के नियंत्रण कक्ष के मध्य संचार बना रहे;

(ण) यान में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित डिजाइन की पूर्ण उपस्कर युक्त उपचार पेटिका होगी;

(ट)यान के नौ वर्ष पुराने होने के पश्चात निर्धारित उत्सर्जन मानक पूर्ण करने वाले यान से उसे प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा;

(ठ) यान के डैशबोर्ड पर चालक और प्रचालक का फोटो, चालक एवं प्रचालक का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा;

(ड) रेडियो टैक्सी सफेद रंग की होगी और प्रत्येक प्रचालक को अलग अलग करने के लिये पृथक पृथक कार के पैनलों के दोनो ओर एक फुट चौडी भिन्न भिन्न रंग की पटटी होगी;

(ढ) परिवहन हेल्प लाइन संख्या को प्रमुख रूप से रेडियो टैक्सी के अन्दर एवं बाहर अनिवार्यतः प्रदर्शित किया जायेगा; और

(पांच) प्रचालक द्वारा रेडियो टैक्सी के लिये नियम 125ग में विहित प्रोफाइल वाले चालक को नियोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– नियम 125क से नियम 125ड के प्रयोजनार्थ प्रचालक का तात्पर्य धारा 74 की उपधारा (1) के अनुसरण में स्वीकृत और प्रत्येक यान के सम्बन्ध में नियम 125च के निबन्धनों के अनुसार जारी किये गये ऐसे परमिट धारक से है जिसके पास दस से कम रेडियो टैक्सियां न हो।

125ग रेडियों टैक्सी के परिचालक का प्रोफाईल–

(क) इस नियमावली के अधीन रेडियो टैक्सी चलाने हेतु नियोजित किये

जाने के दिनांक से कम से कम तीन वर्ष पूर्व से चालक यथास्थिति भारी या हल्के मोटरयान का लाइसेंसधारी हो;

(ख)चालक मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 10 परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो;

(ग)राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जब भी विशेष चालन परीक्षा आयोजित/विहित की जाय तो चालकों से अपेक्षा की जायेगी कि वह उसे सफलता पूर्वक उत्तीर्ण कर लें;

(घ)चालक इस नियमावली के अधीन निर्धारित या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित वर्दी धारण करेगा;

(ड.)चालको का आचरण अच्छा होगा और उसका चरित्र बिना किसी अपराधिक रिकार्ड का होगा। चालक के व्यवहार के लिये प्रचालक उत्तरदायी होगा;

(च)चालक पूर्णतः विश्वसनीय एवं विश्वासपात्र होगा जिसे पुलिस द्वारा सत्यापन के पश्चात ही रोजगार में रखा जायेगा;

125घ **प्रचालन क्षेत्र** किसी रेडियो टैक्सी जिसे परमिट निर्गत किया गया हो को परमिट के अधीन किसी भी नगर निगम क्षेत्र की सीमा के भीतर प्रचालन की अनुमति होगी और यात्री की मांग पर **नगर निगम सीमा से बाहर** राज्य में स्थित किसी भी दर्शनीय स्थान की यात्रा किये जाने के लिये वैध होगा।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनार्थ नगर निगम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अधीन नगर निगम से है।

125ङ **परमिट की स्वीकृति या नवीकरण के लिये आवेदन–**

(1) अधिनियम तथा इस नियमावली के अधीन नगर निगम की क्षेत्रीय सीमा में प्रचालन के लिये परमिट की स्वीकृति या नवीकरण के लिये आवेदन प्रपत्र एसआर 43ख पर राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जायेगा और समय समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित फीस आवेदन के साथ दी जायेगी। यदि आवेदन के समय प्रचालक के पास वाहन न हो तो वह उक्त आवेदन पर ही कय करने का उल्लेख करते हुये राज्य परिवहन प्राधिकरण से आशय पत्र निर्गत करने का आवेदन कर सकता है।

(2) इस नियमावली के अधीन परमिट की स्वीकृति या नवीकरण के लिये आवेदन राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा सामान्यतया आवेदन प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के अंदर निस्तारित किया जायेगा।

125च **परमिट जारी करने तथा नवीकरण करने की प्रकिया–**

(1) राज्य परिवहन प्राधिकरण नियम 125 ड. के अधीन आवेदन पत्र

प्राप्त होने पर और स्वयं का यह समाधान कर लेने के पश्चात कि आवेदक ने नियम 125 ख की अपेक्षाओं का पालन कर लिया है। नियम 125 झ के अधीन राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अंतिम प्रवेश समय सारणी के अनुसार विहित श्रेणी की कम से कम दस वाहनों को क्रय करने के लिये प्रपत्र एसआर 43 ग पर आशय पत्र जारी कर सकेगा। प्रवेश समय सारणी के अधीन आशय पत्र जारी करने के दिनांक से आवेदक द्वारा चार माह के अन्दर निर्धारित वाहन प्राप्त किये जा सकते है परन्तु प्रचालन को प्रारम्भ करने के लिये प्रारम्भ में वाहनवार पांच वाहनों को अस्थायी परमिट स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) अस्थायी परमिट कम से कम पांच वाहनों पर प्रचालक को चार माह के लिये स्वीकृत किया जा सकेगा जिससे आशय पत्र जारी होने के दिनांक से चार माह की अवधि के भीतर पूरी सुविधायुक्त रेडियो नेटवर्क तथा जीपीएस/जीपीआरएस ट्रेकिंग प्रणाली को स्थापित किया जा सके।

(3) यदि चार माह में प्रचालक इन शर्तों को पूर्ण करने में विफल रहता है तो राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हुये परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड सरकार के पक्ष में देय पांच हजार रूपये मात्र का डिमांड ड्राफ्ट शास्ति के रूप में आवेदन के साथ कारणों को उल्लिखित करते हुये लगायेगा। स्पष्ट किये गये कारणों से राज्य परिवहन प्राधिकरण का समाधान हो जाने पर अवसंरचना को स्थापित करने के लिये उसके द्वारा अग्रतर दो माह का समय प्रदान किया जा सकेगा।

(4) राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा नियम 125झ के अधीन अनुमोदित प्रवेश समय सारणी के अनुसार जब तक कि कम से कम दस वाहन प्राप्त न कर लिये जाय तब तक वाहनवार अस्थायी परमिट प्रचालक को जारी किये जायेंगे। आशय पत्र में विहित समस्त शर्तों के अनुपालन में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रपत्र एसआर 43घ पर वाहनवार पांच वर्ष की अवधि के लिये वैध नियमित परमिट जारी किये जायेंगे।

(5) प्रचालक द्वारा विहित अवधि के अंदर पूर्ववर्ती मदों में वर्णित निबन्धनों का अनुपालन न करने की दशा में, उसका अस्थायी परमिट स्वतः निरस्त समझा जायेगा और दो लाख रूपये की निष्पादन प्रत्याभूति को जब्त कर लिया जायेगा।

(6) प्रारम्भ में पांच वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत परमिट को राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा विहित अन्य किसी वाहनवार शर्तों को पूर्ण करने और प्रचालक के संतोषजनक निष्पादन के अध्याधीन पांच वर्षों की अग्रतर अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा परमिट चार वर्ष पूर्ण होने के पश्चात परन्तु परमिट समाप्त होने के न्यूनतम तीन माह पूर्व नवीकृत/नये दो लाख रूपये के या यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा मंहगाई तथा रेडियो टैक्सी के मूल्य के दृष्टिगत बढायी गयी राशि निष्पादन प्रत्याभूति के साथ वाहनवार

आवेदन प्रपत्र एसआर 43ख पर किया जा सकेगा।

(7) परमिट के नवीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रचालक के कारोबार करने के परिसर का निरीक्षण किया जायेगा तथा इस नियमावली के निर्बन्धनों और शर्तों के अनुसार प्रचालक के निष्पादन का मूल्यांकन किया जायेगा। परमिट का नवीकरण स्वीकृत करने के समय राज्य परिवहन प्राधिकरण प्रचालक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों को भी ध्यान में रखेगा। इस नियमावली की अपेक्षाओं के अनुरूप, प्रचालक द्वारा सेवाओं की पूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, अपना समाधान कर लेने के पश्चात राज्य परिवहन प्राधिकरण प्रपत्र एसआर 43घ पर परमिट का नवीकरण करेगा।

125छ प्रचालक के पालन करने हेतु विशेष शर्तें–

(1) प्रचालक या परमिट धारक **(क)** राज्य परिवहन प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति के बिना परमिट में उल्लिखित कारोबार के मुख्य स्थान को परिवर्तित नहीं करेगा;

(ख)राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कराधान अधिकारी या वरिष्ठ मोटरयान निरीक्षक स्तर से अन्यून व्यक्ति के लिये अपने कारोबार के स्थान तथा समस्त सम्बन्धित अभिलेख तथा रजिस्टर एवं रेडियो टैक्सी को उचित समय पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध रखेगा;

(ग)राज्य परिवहन प्राधिकरण को समय समय पर वांछित सूचनायें एवं विवरण उपलब्ध करायेगा;

(घ)रेडियो टैक्सी के अन्दर तथा कारोबार के अपने मुख्य कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों, जो सहजदृश्य स्थानों पर प्रपत्र एसआर 43ड. में कमबद्ध रूप से कमांकित पृष्ठों वाले तीन प्रतियों में "शिकायत पुस्तिका" रखेगा। प्रचालक प्राप्त शिकायत, यदि कोई हो, की द्वितीय प्रति को विलम्बतम तीन दिन के अंदर राज्य परिवहन प्राधिकरण को पंजीकृत डाक से प्रेषित करेगा; और

(ड.)मुख्य और शाखा कार्यालय में सुझाव पुस्तिका भी रखेगा और प्राप्त सुझाव, यदि कोई हो, टिप्पणी के साथ माह में एक बार राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रेषित करेगा।

(2) राज्य परिवहन प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति के बिना प्रचालक द्वारा किसी को परमिट हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

125ज किराया और रोके रखने का प्रभार किराया, यान को रोके रखने का प्रभार तथा अन्य प्रभार का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा किया जायेगा।

125झ प्रवेश समय सारणी–

(1) आशय पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र के समय आवेदक को न्यूनतम दस वाहनों के बारे में प्रवेश समय सारणी प्रस्तुत करनी होगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण प्रस्तुत की गयी समय

सारणी को न्यूनतम पांच गाडियों को प्रथम चरण में आशय पत्र जारी होने के बाद युक्ति–युक्त समय के अंदर प्रस्तुत करने की आवश्यकता उल्लिखित करते हुये सारणी को अनुमन्य कर सकेगा और आगे प्रस्तुत समय सारणी को उसी रूप में संशोधनों के साथ या बिना किसी संशोधन के अनुमन्य कर सकेगा या आशय पत्र जारी करने से पूर्व उपान्तरित प्रवेश समय सारणी प्रस्तुत करने हेतु आवेदक से अपेक्षा कर सकेगा।

(2) प्रचालक द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को अनुमोदित समय सारणी के प्रत्येक चरण के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

(3) यदि प्रचालक अनुमोदित समय सारणी के अनुसार रेडियो टैक्सी को प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निष्पादन प्रत्याभूति को जब्त किया जा सकेगा तथा अस्थायी परमिट निरस्त किया जा सकेगा।

125ञ परमिट को निलम्बित या निरस्त करने की राज्य परिवहन प्राधिकरण की शक्ति–

(1) प्रचालक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात राज्य परिवहन प्राधिकरण का यह समाधान हो जाने पर कि–

(क)वह इस नियमावली के किसी प्राविधानों या परमिट की शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा है; या

(ख)वह अधिनियम तथा इस नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप रेडियो टैक्सी का रख रखाव करने में विफल रहा है; या

(ग)उसका कोई कर्मचारी किसी ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार का दोषी रहा है; या

(घ)किसी व्यक्ति द्वारा परमिट धारक के विरूद्ध की गयी शिकायत सिद्ध है;

तो वह विनिर्दिष्ट अवधि के लिये परमिट को निलम्बित या निरस्त करेगा।

(2) जहां कोई परमिट निलम्बित या रदद किये जाने के योग्य है और राज्य परिवहन प्राधिकरण की यह राय है कि मामलें में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये परमिट को निलम्बित या रदद किया जाना आवश्यक या उपयुक्त नहीं होगा, यदि प्रचालक राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित धनराशि देने के लिये सहमत हो जाता है, तब उपनियम (1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी राज्य परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति, परमिट निलम्बित या रदद करने के बजाय प्रचालक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुयी है।

(3) उपनियम (1) के अधीन परमिट को निलम्बित या निरस्त कर दिये

जाने पर प्रचालक परमिट को राज्य परिवहन प्राधिकरण को समर्पित कर देगा।

(4) यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक है राज्य परिवहन प्राधिकरण नियम 125ख और नियम 125च की किन्ही शर्तों में संशोधन कर सकता है या परमिट पर अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकता है।

125ट **अपील** नियम 125च के उपनियम **(1)** या नियम 125ञ के अधीन राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण के यहां अपील कर सकेगा।

125ठ **अपील की प्रकिया–**

(1) नियम 125ट के अधीन अपील दो प्रतियों में ज्ञापन के रूप में की जायेगी जिसमें राज्य परिवहन प्राधिकरण के आदेश के बाबत आक्षेपों के आधारों का उल्लेख किया जायेगा और उसके साथ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट फीस होगी।

(2) राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे, समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

125ड **सभी रेडियो टैक्सी परमिटों के लिये सामान्य शर्तें–**

(1) ऐसे प्रत्येक परमिट की निम्नलिखित शर्तें होंगी–

(एक) चालकों के कार्य के घण्टे परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अनुसार सीमित होंगे।

(दो) सामान्य जनता के लिये रेडियो टैक्सी निम्नलिखित तीन प्रकार से उपलब्ध रहेगी–

(क)सम्बन्धित दूरभाष संख्या पर डायल द्वारा काल पर;

(ख)अभिहित स्थान से टैक्सी किराये पर लेकर;

(ग)टैक्सी को सडक पर रोक करके।

उक्त के सिवाय रेडियो टैक्सी की ई बुकिंग नेट से या मोबाइल से नहीं होगी।

(तीन) सभी महत्वपूर्ण बस टर्मिनल्स, रेलवे स्टेशन, एयर पोर्ट एवं उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थान के समीप रेडियो टैक्सी की पार्किंग/उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

(चार) यदि रेडियो टैक्सी का प्रचालक किसी यान का प्रयोग ऐसी रीति से करता है या करवाता है या प्रयोग किये जाने की अनुमति देता है जो परमिट या इस नियमावली के उपबन्धों द्वारा प्राधिकृत न हो तो प्रचालक/चालक ऐसे अपराध या जुर्म जो उक्त यान का उपयोग करने

वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो के लिये संयुक्त रूप से या पृथक पृथक रूप से उत्तरदायी होगा।

(पांच) कोई प्रचालक राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा उसको जारी किये गये परमिट को किसी भी समय समर्पित कर सकेगा और ऐसे समर्पण पर राज्य परिवहन प्राधिकरण परमिट को निरस्त करेगा। प्रचालक परमिट समर्पित करने और बैंक प्रत्याभूति को अवमुक्त करने की मांग करने से पूर्व समस्त देयों का भुगतान करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में उपनियम (1) में उल्लिखित किन्ही या समस्त निबंधनों एवं शर्तों में जनहित में परिवर्तन करने की शक्ति होगी।

नियम 126 का संशोधन — **16** मूल नियमावली के नियम 126 की सारणी में वर्तमान कम संख्या (1) के पश्चात कम संख्या (1क) को निम्नानुसार बढा दिया जायेगा, अर्थात–

(1क) अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट देने, उसका नवीकरण करने और उसका प्रतिहस्ताक्षर करने के लिये आवेदन फीस– 500 रूपये

नियम 163 का संशोधन — **17** मूल नियमावली के नियम 163 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ– 1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
163 परिवहन यानों को रंगा जाना (1) नियम 111 और उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुये चार पहियों का कोई मोटरयान यथा जीप और कमाण्डर कार, जो मूल रूप में सेना की रही हो, उन्हे निम्नलिखित रंगों में से किसी रंग से पेन्ट किया जायेगा– (क) सफेद (ख) काला (ग) हरा	**163 परिवहन यानों को रंगा जाना (1)** नियम 111 और उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुये चार पहियों का कोई मोटरयान यथा जीप और कमाण्डर कार, जो मूल रूप में सेना की रही हो, उन्हे निम्नलिखित रंगों में से किसी रंग से पेन्ट किया जायेगा– (क) सफेद (ख) काला (ग) हरा
(2) मोटर टैक्सी काले रंग में पीले हुड के साथ रंगी जायेगी और कोई अन्य मोटर कार इस रंग संयोजन में नहीं रंगी जायेगी।	**(2)** अनन्य रूप से नगर क्षेत्र के अन्तर्गत प्रचालन हेतु अनुमन्य प्रत्येक मोटर टैक्सी काले रंग में पीले हुड के साथ रंगी जायेगी और कोई अन्य मोटर कार इस रंग संयोजन में नहीं रंगी जायेगी।

	परन्तु यह कि यह उपनियम केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 85क में विनिर्दिष्ट मोटर टैक्सी पर लागू नहीं होगा।
(3) सेना के किसी मोटरयान से भिन्न किसी मोटरयान का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे सेना के मोटर यानों के लिये सामान्यतया प्रयुक्त रंग से भिन्न रंग में न रंगा गया हो।	(3) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट के सिवाय अन्य ठेका गाडी को बादामी लाल रंग (maroon) या काला या लाल रंग के सिवाय किसी भी रंग में पेन्ट किया जायेगा और मोटर टैक्सी से भिन्न ठेका गाडी के दोनो ओर 60 सेन्टीमीटर व्यास के वृत्त में और मोटर टैक्सी के दोनो ओर 20 सेन्टीमीटर व्यास के वृत्त में "ठेका गाडी" उल्लिखित होगा।
स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनों के लिये पर्यटन मोटर टैक्सी का तात्पर्य किसी ऐसी मोटर टैक्सी से है, जिसे मुख्यतः विदेशी पर्यटकों को ले जाने के लिये राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा ठेका गाडी परमिट जारी किया गया।	(4) सेना के किसी मोटरयान से भिन्न किसी मोटरयान का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे सेना के मोटर यानों के लिये सामान्यतया प्रयुक्त रंग से भिन्न रंग में न रंगा गया हो।
	(5) शिक्षण संस्था बस और स्कूल कैब को पीला रंग में रंगा जायेगा।
	(6) एम्बुलेंस सफेद रंग में रंगी होगी और उसमें शब्द 'Ambulance' उल्टे अक्षरों में लिखा होगा।

नियम 169 का संशोधन

18 **(क)** मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ– 1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
169 (1) केन्द्रीय नियमावली के नियम 115 के उपनियम (7) के अधीन 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए प्रदूषण जांच केन्द्र के रुप में प्राधिकृत किए जाने के लिए प्राधिकृत गैराज/ कार्यशालाओं, पैट्रोलियम कम्पनियों, पैट्रोल पम्प	**प्रदूषण जांच केन्द्रों को प्राधिकृत किया जाना–169** (1) केन्द्रीय नियमावली के नियम 115 के उपनियम (7) के अधीन 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए प्रदूषण जांच केन्द्र के रुप में प्राधिकृत किए जाने के लिए प्राधिकृत गैराज/

एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा इस रुप में कार्य करने के लिए परिवहन आयुक्त को प्रपत्र एस0आर0–48 में लिखित आवेदन– पत्र दिया जायेगा। आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे –

(एक) परिवहन आयुक्त के नाम बंधक रु0 25000 की प्रतिभूति नकद या परिवहन आयुक्त द्वारा मा0 किसी सरकारी प्रतिभूति के रूप में;

(दो) केन्द्रीय नियमावली के नियम 126 में उल्लिखित (प्रोटोटाईप) एजेन्सी/संस्था द्वारा अनुमोदित जांच सयंत्र का वीजक, स्थापना प्रपत्र एवं अन्य उपलब्ध उपकरणों की सूची का वीजक एजेन्सी पर उपलब्ध उपकरणों की सूची;

(तीन) स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा आवेदन की स्थिति में ऐसी संस्था का सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रस्तावित जांच केन्द्र के भवन का नक्शा (ब्लू प्रिन्ट) जो किसी मान्यता प्राप्त वास्तुविद (आर्कीटेक्ट) द्वारा निर्गत किया गया हो, पता प्रमाण, भू–स्वामित्व/किरायानामा का प्रमाण, विद्युत संयोजन (कनैक्शन) का प्रमाण;

(चार) साझेदारी फर्म की स्थिति में भागीदार विलेख (पाटर्नर शिप डीड) की प्रति;

(पांच) मानक स्तर से अधिक प्रदूषक उत्सर्जित करने वाली वाहन को सुधारने हेतु वाहन के इंजन की जांच और मरम्मत के कार्यशालाओं, पैट्रोलियम कम्पनियों, पैट्रोल पम्प एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा इस रुप में कार्य करने के लिए अपर परिवहन आयुक्त को प्रपत्र एस0आर0–48 में लिखित आवेदन–पत्र दिया जायेगा। आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे –

(एक) परिवहन आयुक्त के नाम बंधक रु0 25000 की प्रतिभूति नकद या परिवहन आयुक्त द्वारा मान्य किसी सरकारी प्रतिभूति के रूप में;

(दो) केन्द्रीय नियमावली के नियम 126 में उल्लिखित (प्रोटोटाईप) एजेन्सी/संस्था द्वारा अनुमोदित जांच सयंत्र का वीजक, स्थापना प्रपत्र एवं अन्य उपलब्ध उपकरणों की सूची का वीजक एजेन्सी पर उपलब्ध उपकरणों की सूची;

(तीन) स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा आवेदन की स्थिति में ऐसी संस्था का सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रस्तावित जांच केन्द्र के भवन का नक्शा (ब्लू प्रिन्ट) जो किसी मान्यता प्राप्त वास्तुविद (आर्कीटेक्ट) द्वारा निर्गत किया गया हो, पता प्रमाण, भू–स्वामित्व/किरायानामा का प्रमाण, विद्युत संयोजन (कनैक्शन) का प्रमाण;

(चार) साझेदारी फर्म की स्थिति में भागीदार विलेख (पाटर्नर शिप डीड) की प्रति;

(पांच) मानक स्तर से अधिक प्रदूषक उत्सर्जित करने वाली वाहन को सुधारने हेतु वाहन के इंजन की

लिए उपकरणों की सूची;
(छः) उपनियम (2) के अनुसार फीस।
(2) प्राधिकार पत्र जारी और उसका नवीकरण करने की फीस–
(क) पेट्रोल से चलने वाले मोटरयानों के लिए रु0 2000
(ख) डीजल से चलने वाले मोटरयानों के लिए रु0 2000
(ग) पेट्रोल/डीजल दोनों प्रकार के मोटरयानों के लिए रु0 4000
(3) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रस्तावित प्रदूषण जांच केन्द्र, उसमें स्थापित संयंत्रों व उपकरणों का निरीक्षण परिवहन विभाग के अधिकारी जो ज्येष्ठ मोटरयान निरीक्षक, मोटरयान निरीक्षक से निम्न स्तर का न हो, से कराया जायेगा। उसकी निरीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सम्भागीय परिवहन अधिकारी की संस्तुतियों के साथ परिवहन आयुक्त को भेजी जायेगी।
(4) परिवहन आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत किये जाने पर अपर परिवहन आयुक्त द्वारा प्राधिकार पत्र प्रपत्र एस0आर0–49 में निम्नलिखित शर्तो के अधीन जारी किया जायेगा;
(एक) एजेन्सी द्वारा केन्द्रीय नियमावली के नियम 115 में निर्धारित किये गये मानकों के स्तर की माप के लिए उस नियमावली के नियम 116 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन अनुमोदित प्रकार के

जांच और मरम्मत के लिए उपकरणों की सूची;
(छः) उपनियम (2) के अनुसार फीस।
(2) प्राधिकार पत्र जारी और उसका नवीकरण करने की फीस–
(क) पेट्रोल से चलने वाले मोटरयानों के लिए रु0 4000
(ख) डीजल से चलने वाले मोटरयानों के लिए रु0 4000
(ग) पेट्रोल/डीजल दोनों प्रकार के मोटरयानो के लिए रु0 8000
(3) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रस्तावित प्रदूषण जांच केन्द्र, उसमें स्थापित संयंत्रों व उपकरणों का निरीक्षण परिवहन विभाग के अधिकारी जो ज्येष्ठ मोटरयान निरीक्षक, मोटरयान निरीक्षक से निम्न स्तर का न हो, से कराया जायेगा। उसकी निरीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सम्भागीय परिवहन अधिकारी की संस्तुतियों के साथ अपर परिवहन आयुक्त को भेजी जायेगी।
(4) अपर परिवहन आयुक्त द्वारा प्राधिकार पत्र प्रपत्र एस0आर0–49 में निम्नलिखित शर्तो के अधीन जारी किया जायेगा;
(एक) एजेन्सी द्वारा केन्द्रीय नियमावली के नियम 115 में निर्धारित किये गये मानकों के स्तर की माप के लिये उस नियमावली के नियम 116 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन अनुमोदित प्रकार के उपकरणों की स्थापना की

उपकरणों की स्थापना की जायेगी तथा उन्हें समय–समय पर केन्द्रीय नियमावली में किये गये संशोधनों के अनुसार उच्चीकृत किया जायेगा /बदला जायेगा।	जायेगी तथा उन्हे समय समय पर केन्द्रीय नियमावली में किये गये संशोधनों के अनुसार उच्चीकृत किया जायेगा/बदला जायेगा।
(दो) प्राधिकार–पत्र जारी करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि या स्वैच्छिक संस्था के मामले में सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1860 में पंजीयन की अवधि तक या अनुमोदित गैराज/कार्यशालाओं, पैट्रोलियम कम्पनी, पेट्रोल पम्प के मामले में की डीलरशिप की वैधता की अवधि तक, जो भी पहले हो, वैध होगा।	**(दो)** प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि और उसका नवीकरण 05 वर्ष की अवधि के लिये इस शर्त के साथ कि स्वैच्छिक संस्था के मामलें में सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 में पंजीयन की अवधि तक या अनुमोदित गैराज/ कार्यशालाओं, पैट्रोलियम कम्पनी, पैट्रोल पम्प के मामलें में उसकी डीलरशिप की वैधता की अवधि तक, जो भी पहले हो, वैध होगी। प्राधिकार पत्र का नवीकरण उसमें पृष्ठांकन द्वारा किया जायेगा। प्राधिकार पत्र के नवीकरण हेतु उसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम 60 दिन पूर्व सादे कागज पर नवीकरण फीस सहित अपर परिवहन आयुक्त को आवेदन किया जायेगा।
(तीन) "प्रदूषण नियन्त्रण में है" प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए एजेन्सी द्वारा यान स्वामी से अधिकतम 40 रुपया शुल्क लिया जा सकेगा।	**(तीन)** "प्रदूषण नियंत्रण में है" प्रमाण पत्र जारी करने के लिये एजेन्सी द्वारा यान स्वामी से अधिकतम **70 रूपया** शुल्क लिया जायेगा।
(चार) 'प्रदूषण नियंत्रण में है' प्रमाण–पत्र का प्ररूप सम्बन्धित एजेन्सी को परिवहन आयुक्त, कार्यालय अथवा सम्बन्धित सम्भागीय/ उपसम्भागीय कार्यालय से 10 रुपया प्रति प्ररूप जमा कराने पर उपलब्ध कराया जायेगा। एजेन्सी द्वारा अनिवार्यतः उसी प्ररुप पर 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' प्रमाण–पत्र जारी करना	**(चार)** "प्रदूषण नियंत्रण में है" प्रमाण पत्र का **फार्म** सम्बन्धित एजेन्सी को परिवहन आयुक्त कार्यालय अथवा सम्बन्धित सम्भागीय/ उपसम्भागीय कार्यालय से **20 रूपया** प्रति **फार्म** जमा कराने पर उपलब्ध कराया जायेगा। एजेन्सी द्वारा अनिवार्यतः **इस प्रकार** प्राप्त किये फार्म पर "प्रदूषण नियंत्रण में है" प्रमाण पत्र जारी

होगा। इस प्रकार जारी किये गये प्रमाण–पत्रों की सूचना एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को दी जायेगी।

करना होगा। उस पर प्राधिकृत आपरेटर के हस्ताक्षर के सिवाय कोई भी प्रविष्टि हाथ से नहीं की जायेगी। प्रदूषण नियन्त्रण में है की जांच एवं प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वेब आधारित व्यवस्था प्रभावी होने पर एजेन्सी द्वारा वेब साफ्टवेयर के माध्यम से "प्रदूषण नियन्त्रण में है" प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे। इस हेतु एजेन्सी "ब्राड बैंड" या "डाटा कार्ड" के माध्यम से इन्टरनेट संयोजन की व्यवस्था करेगी जो परिवहन विभाग के केन्द्रीय सर्वर से अनवरत जुडा रहेगा और वेब साफ्टवेयर के माध्यम से "प्रदूषण नियन्त्रण में है" प्रमाण पत्र का फार्म डाउनलोड़ करने की स्थिति में एजेन्सी द्वारा 20 रूपया प्रति प्रमाण पत्र की दर से परिवहन आयुक्त कार्यालय में अग्रिम में नकद जमा करना होगा।

(पांच) प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा मान्यता प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि एवं निर्माता द्वारा प्रशिक्षित किये गये कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

(पांच) एजेन्सी द्वारा प्रदूषण की जांच हेतु उपकरण निर्माता/आपूर्तिकर्ता/व्यवसायी द्वारा प्रशिक्षित किये गये आपरेटर ही रखे जायेंगे। जो सम्बन्धित एजेन्सी के नियमित कर्मी होंगे। प्रदूषण जांच का कार्य उसके द्वारा ही किया जायेगा तथा 'प्रदूषण नियंत्रण में है प्रमाण पत्र' उसी के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। एजेन्सी द्वारा नियुक्त ऐसे आपरेटर के प्रमाणित हस्ताक्षर प्रपत्र 49क पर परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराये जायेंगे। एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि एवं इस प्रकार प्रशिक्षित

आपरेटर का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

(छः) प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा केन्द्र पर जांच किए गए वाहनों की मासिक सूचना ऐसे प्ररूप में जैसा कि परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाये, सम्बन्धित सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

(छः) एजेन्सी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सूचना **इन्टरनेट के माध्यम से** सम्बन्धित सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं **परिवहन आयुक्त कार्यालय** को दी जायेगी।

(सात) प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन न करने की दशा में प्रतिभूति की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और ऐसी मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(सात) प्राधिकृत जांच एजेन्सी द्वारा स्थापित जांच केन्द्रों का समय समय पर परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जो मोटरयान निरीक्षक से निम्न स्तर का न हो, निरीक्षण किया जा सकेगा।

(आठ) प्राधिकृत जांच एजेन्सी द्वारा स्थापित जांच केन्द्रों का समय–समय पर परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जो मोटरयान निरीक्षक से निम्न स्तर का न हो, निरीक्षण किया जा सकेगा। (5) प्राधिकृत एजेन्सी, विनिर्दिष्ट क्षेत्र, स्थान में प्रदूषण नियन्त्रण में है प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उतनी संख्या में सचल जांच केन्द्र स्थापित कर सकेगी जितनी तद्नुसार परिवहन आयुक्त द्वारा अधिकृत किया जाय। ऐसे सचल जांच केन्द्रों पर वे सभी शर्ते लागू होंगी जो प्राधिकृत एजेन्सी पर लागू होती है। ऐसे सचल जांच केन्द्र के लिए प्राधिकृत एजेन्सी को अलग से उपकरण लगाना होगा और इस हेतु अलग से शुल्क देय होगा।

(5) प्राधिकृत एजेन्सी, विनिर्दिष्ट क्षेत्र, स्थान में प्रदूषण नियन्त्रण में है प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उतनी संख्या में सचल जांच केन्द्र स्थापित कर सकेगी जितनी तद्नुसार अपर परिवहन आयुक्त द्वारा अधिकृत किया जाय। ऐसे सचल जांच केन्द्रों पर वे सभी शर्ते लागू होंगी जो प्राधिकृत एजेन्सी पर लागू होती है। ऐसे सचल जांच केन्द्र के लिए प्राधिकृत एजेन्सी को अलग से उपकरण लगाना होगा और इस हेतु अलग से शुल्क देय होगा।

(6) यदि प्राधिकृत एजेन्सी वैधता की अवधि से पूर्व कार्य बन्द करना चाहती है तो प्रतिभूति की राशि

(6) यदि प्राधिकृत एजेन्सी वैधता की अवधि से पूर्व कार्य बन्द करना चाहती है तो प्रतिभूति की राशि अधिकृत यान के स्वामी/प्रतिनिधि को समस्त साझेदारों की लिखित सहमति पर वापस की जा सकेगी।

(7) प्राधिकार पत्र के लिये किसी सक्षम आवेदक को तब तक इंकार नहीं किया जायेगा जब तक कि

अधिकृत यान के स्वामी/प्रतिनिधि को समस्त साझेदारों की लिखित सहमति पर वापस की जा सकेगी।	उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो और ऐसा इंकार करने के लिये लिखित रूप में कारण न दे दिये गये हो।

169क से 169घ तक का बढाया जाना

19 मूल नियमावली में नियम 169 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

169क प्राधिकार पत्र की दूसरी प्रति जारी करना–(1) यदि किसी समय नियम 169 के उपनियम (4) के अधीन जारी किया गया प्राधिकार पत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो प्राधिकृत एजेन्सी उसकी सूचना तुरन्त अपर परिवहन आयुक्त को देगा और उसकी दूसरी प्रति के लिये प्रारूप एस0आर0 49ख में प्राधिकार पत्र जारी करने की फीस की आधी फीस के साथ आवेदन करेगा। उसके उपरान्त प्राधिकार पत्र की दूसरी प्रति जारी की जायेगी जिस पर लाल स्याही से "दूसरी प्रति" चिन्हित होगा।

(2) प्राधिकार पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के पश्चात यदि मूल प्रति मिल जाती है तो वह तत्काल अपर परिवहन आयुक्त को अभ्यर्पित कर दी जायेगी।

169ख प्राधिकार पत्र शास्ति, निलम्बित या रद्द करना– (1) प्राधिकार पत्र धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त, यदि अपर परिवहन आयुक्त का समाधान हो जाता है कि धारक नियम 169 के उपनियम (1) और उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहा है तो कारणों को अभिलिखित करते हुये वह लिखित आदेश द्वारा प्राधिकार पत्र धारक द्वारा जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति को या उसके भाग को समपहरण कर सकता है या प्राधिकार पत्र को ऐसी अवधि के लिये निलम्बित कर सकता है या रद्द कर सकता है, जैसी वह उचित समझे।

(2) जहां इस नियम के अधीन कोई प्राधिकार पत्र रदद या निलम्बित किया जाने वाला हो और प्राधिकार पत्र देने वाले अधिकारी का यह विचार हो कि मामलें की परिस्थितियों पर विचार करते हुये प्राधिकार पत्र को रदद या निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन नहीं होगा यदि प्राधिकार पत्र धारक एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने के लिये राजी हो तो उपनियम (1) में किसी बात के होते हुये भी प्राधिकार पत्र जारी करने वाला अधिकारी यथास्थिति प्राधिकार पत्र को रदद करने या निलम्बित करने के बजाय प्राधिकार पत्र धारक से सहमत धनराशि वसूल कर सकता है।

(3) जहां प्राधिकार पत्र धारक द्वारा जमा प्रतिभूति पूर्णतः या अंशतः समपहरण कर ली गयी हो वहां प्राधिकार पत्र धारक आदेश के दिनांक

से 15 दिन के भीतर इस प्रकार समपहरण धनराशि को जमा करेगा जिससे प्रतिभूति की पूर्ण राशि पूरी हो जाय, ऐसा करने में विफल होने पर प्राधिकार पत्र धनराशि के जमा कर दिये जाने तक निलम्बित रहेगा।

(4) उपनियम (3) में किसी बात के होते हुये भी, प्राधिकार पत्र जारी करने वाले अधिकारी का यदि समाधान हो जाय कि प्राधिकार पत्र धारक युक्तियुक्त कारणों से पूर्वोक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर धनराशि जमा नहीं कर सका, तो वह धनराशि जमा करने की अवधि को बढा सकता है।

(5) जहां प्राधिकार पत्र धारक द्वारा नियम 169 के उपनियम (4) के खण्ड (चार) में विहित फार्म शुल्क की अपवंचना की जाती है तो उस दशा में अपवंचना की गयी धनराशि के दोगुनी धनराशि शास्ति के रूप में देय होगी।

(6) जहां इस नियम के अधीन कोई प्राधिकार पत्र निलम्बित या रद्द हो जाता है तो उस दशा में प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा नियम 169 के उपनियम (4) के खण्ड (एक) के अनुसार स्थापित उसकी मशीनों को सील कर दिया जायेगा।

169ग **अपील** नियम 169 के उपनियम (4) एवं नियम 169ख के अधीन जारी आदेश से व्यथित कोई प्राधिकृत एजेन्सी ऐसे आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर परिवहन आयुक्त को अपील कर सकेगा। अपील की फीस 1000 रूपये होगी।

169घ **अपील के लिये प्रकिया (1)** नियम 169ग के अधीन कोई अपील उसमें उल्लिखित किसी आदेश के सम्बन्ध में आक्षेपों के आधार उपदर्शित करते हुये ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में की जायेगी और उसके साथ उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, प्रमाणित प्रतिलिपि और विहित फीस होगी।

(2) परिवहन आयुक्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

नियम 177क से 177घ तक का बढाया जाना

20 मूल नियमावली में नियम 177 के पश्चात शयन यान एवं अर्द्ध शयनयान के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

177क **शयनयान की विशिष्टियां –** **(1)** शयनयान डीलक्स वाहन के रूप में इस नियम के अन्तर्गत वातानुकूलित होगा और ऐसी वाहन का व्हील बेस 205 इंच से कम नहीं होगा।

(2) केन्द्रीय नियमावली के नियम 93 के साथ पठित नियम 128 के उपनियम (2), (3), (4), (5), (6), (9)(एक), (12) एवं (13) के प्रावधान

शयनयान पर लागू होंगे।

(3) शयनयान जिसकी आयु प्रथम पंजीयन के दिनांक से 10 वर्ष से अधिक है को दिया गया परमिट 10 वर्ष की आयु के उपरान्त अवैध हो जायेगा।

(4) परमिट जारी करते समय या यान के प्रतिस्थापन के समय शयनयान की आयु प्रथम पंजीयन दिनांक से 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) शयन बर्थ की व्यवस्था–

(एक) शयनयान में शयन बर्थ की व्यवस्था वाहन की लम्बाई में केवल दो तलीय शयन आधार पर उपलब्ध की जायेगी। प्रत्येक शयन बर्थ की लम्बाई न्यूनतम 1750 मिलीमीटर तथा चौडाई 760 मिलीमीटर से कम एवं अधिकतम 900 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक शयन की मोटाई न्यूनतम 75 मिलीमीटर से कम नहीं होगी।

(दो) आने जाने के रास्ते (गेंगवे) की चौडाई 450 मिलीमीटर से कम की नहीं होगी।

(तीन) दो शयन बर्थ के मध्य संरचना विभाजक की चौडाई न्यूनतम 25 मिलीमीटर से कम की नहीं होगी।

(चार) वाहन के फर्श से निचला शयन बर्थ न्यूनतम 150 मिलीमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया जायेगा।

(पांच) निचला शयन बर्थ में बैठे यात्री के लिये स्पष्ट शीर्ष कक्ष (हेड रूम) 800 मिलीमीटर से कम नहीं होगा।

(छः) छत के बगल में घुमाव को छोडकर ऊपर के शयन बर्थ का स्पष्ट शीर्षकक्ष (हेड रूम) 650 मिलीमीटर से कम नहीं होगा।

(सात) ऊपर के शयन बर्थ को ठोस प्रकार से विभाजक या कील युक्त या ढलाईदार अथवा रिपिट युक्त मजबूती से पकड वाला बनाया जायेगा और शयन बर्थ पर लटकते हुये दो चमकदार इस्पात की जंजीर से मजबूती से पकड किये होंगे। यह इस्पात जंजीर छत के निर्माण भुजाओं पर कीलयुक्त या ढलाईदार किये होंगे। जंजीर की लम्बाई ऐसी होगी कि यात्री शयन बर्थों पर सुविधापूर्वक अन्दर या बाहर आ जा सके।

(आठ) ऊपर की शयन बर्थ के यात्री के लिये शयन बर्थ पर ऊपर जा सकने और नीचे आ सकने के लिये उचित व्यवस्था की जायेगी।

(नौ) ऊपर के शयन बर्थ तक सुविधापूर्वक पंहुचने के लिये एक सहायक हत्था और पायदान सुविधाजनक ऊंचाई में उपलब्ध किया जायेगा।

(दस) परिसहायक/व्यवस्थापक के लिये सीट को छोडकर आने जाने के रास्ते में कोई सीट या शयन बर्थ लगाने की अनुमति नहीं दी

जायेगी।

(ग्यारह) प्रत्येक शयन बर्थ वस्त्र आवरण से सज्जित होगी जो स्वच्छ एवं रोग मुक्त स्थिति में रखे जाने योग्य रहेगी।

(बारह) प्रत्येक यात्री को एक तकिया एवं दो साफ चादर उपलब्ध की जायेगी (एक ओढने के लिये और दूसरी बिछाने के लिये) इन्हे हमेशा अच्छी और रोगमुक्त स्थिति में रखा जायेगा।

(तेरह) ऊपर की शयन बर्थ के दोनो ओर नरम सामग्री युक्त का सुरक्षा कवच उपलब्ध किया जायेगा।

(6)– अन्य विवरण

(एक) शीर्षकक्ष–यान के आंतरिक कक्ष की ऊंचाई 1850 मिलीमीटर से कम नहीं होगी।

(दो) बॉडी संरचना– परिदृढ चेसिस की दशा में ऐसे लोक सेवा यान की बॉडी चेसिस पर हाईटेनसाइल एवं इस्पात बोल्ट जो 16 मिलीमीटर की परिधि से कम नहीं बनायी जायेगी जहां ऐसे छिद्र करने की जैसा कि निर्माता द्वारा तकनीकी रूप से मान्यता दी गयी है को छोडकर चेसिस के पार्श्व (दिशान्तरीय) भाग पर कोई छेद ड्रील मशीन से नहीं किया जायेगा। बॉडी संरचना और चेसिस फ्रेम के बीच में रबर की पैकिंग या माउंटिग समुचित मोटाई की होगी।

(तीन) फर्श–ऐसे लोक सेवा यान के फर्श की सामग्री ध्वनि मुक्त एन्टीस्किड और धोने योग्य होगी। यात्रियों के लिये फर्श सुरक्षित होगा और रबर या सेन्थेटिक गददा या गलीचे से ढका होगा। उचित पैकिंग सामग्री के द्वारा सभी जोड धूल मुक्त रहेंगे।

(चार) छत– ऐसे लोक सेवा यान की सीलिग की छत मुलायम सामग्री या तद्समान सामग्री जैसे ए0बी0एस0 प्लास्टिक से दबाव समाप्त करने के लिये उपलब्ध किया जायेगा।

(पांच) प्रकाश– सामान्य प्रकाश व्यवस्था के अतिरिक्त प्रत्येक शयन बर्थ के लिये सुविधाजनक स्थान पर व्यक्तिगत रीडिंग लाईट उपलब्ध की जायेगी।

(छः) रंग रोगन सजावट– ऐसे लोक सेवा यान को "नेट्रो सेल्यूलेस" या "सेन्थेटिक इनेमल" या जो अन्य उचित रंग से अनुज्ञात रंग योजना का रंग हो रंग किया जायेगा।

(7) वातानुकूलित यंत्र कक्ष–

(क) ऐसे लोक सेवा यान में समुचित मानक के वातानुकूलित यूनिट लगायी जा सकेगी।

(ख) वातानुकूलित इंजन कक्ष ध्वनि रोधक सामग्री से युक्त होगा ताकि इंजन के शोर को युक्तियुक्त डी0बी0 लेबल तक और कंपन या

माउंटिंग के कंपन सलून कक्ष से कम कर सके।

(8) शिथिलीकरण देने की शक्ति– राज्य सरकार शयनयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी वाहन को ठंडा करने की क्षमता या ऊपर दर्शायी गयी किसी भी शर्त में लिखित कारण दर्शाते हुये आदेश द्वारा शिथिलीकरण प्रदान कर सकती है।

(9) खिडकियां–

(क) खिडकियां दोहरी स्लाडिंग युक्त स्लाईडर जो चैनल में सुगमतापूर्वक आगे पीछे बिना खडखड की आवाज के और जो समग्र/सुरक्षा या लेमिनेटेड सेफ्टी कांच जो भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो उपलब्ध करायी जायेगी खिडकियों में खिसकने वाले पर्दे उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ख) जहां स्थिर कांच उपलब्ध किये गये हो उसमें छत के ऊपर समुचित रूप से वायु परिचालन के लिये कम से कम एक दरार उपलब्ध की जायेगी।

(ग) खिसकने वाली खिडकियां चालक विभाजक में चालक के ठीक पीछे उपलब्ध की जायेगी।

(10) विविध–

(क) ऐसे लोक सेवा यान में कोई हेट रेक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(ख) ऐसा लोक सेवा यान वेबलर संसपेंशन या न्यूमेटिक संसपेंशन से युक्त होगा।

(ग) केनरी के प्रतिबिंबित पटटा पीले रंग में 50 मिलीमीटर चौडाई के आगे और पीछे की ओर बम्पर के साथ लेबल पर उपलब्ध किये जायेंगे।

(घ) ऐसे लोक सेवा यान में परिसहायक/व्यवस्थापक यात्रियों की सेवा के लिये चालक/चालकों/परिचालक के अतिरिक्त उपलब्ध किया जायेगा।

177ख अर्द्धशयनयान की विशिष्टियां– (1) अर्द्धशयनयान ऐसा लोक सेवा यान है जिसमें फर्श पर यात्री सीटे और ऊपर की ओर शयन बर्थ हो और ऐसे वाहन का व्हील बेस 205 इंच से कम नहीं होगा।

(2) अर्द्धशयनयान में शयन बर्थ यान की लम्बाई में उपलब्ध की जायेगी। कोच के ऊपरी आधे भाग में दोनो ओर एकल शयन बर्थ कतार में होंगे, को छोडकर डीलक्स शयनयान के प्रावधान अर्द्धशयनयान पर, जहां तक लागू हो सकेंगे, लागू किये जायेंगे। प्रत्येक शयन बर्थ की लम्बाई न्यूनतम 1750 मिलीमीटर से कम नहीं होगी और चौडाई 450 मिलीमीटर से कम नहीं होगी। प्रत्येक शयन बर्थ की मोटाई न्यूनतम 75 मिलीमीटर से कम नहीं होगी।

(3) प्रथम पंजीयन के दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी अर्द्धशयनयान को परमिट नहीं दिया जायेगा। परमिट की वैधता के दौरान यान यदि दस वर्ष से अधिक की हो जाती है तो ऐसे दिनांक से परमिट अवैध हो जायेगा।

(4) अर्द्धशयनयान परमिट के अन्तर्गत आने वाला यान, परमिट जारी करते समय अथवा यान के प्रतिस्थापन के समय प्रथम पंजीयन के दिनांक से पांच वर्ष से अधिक आयु की नहीं होगी।

(5) यान में दोनो ओर दो दो सीटें होगी। सभी सीटे आगे की ओर मुख किये होंगी। बीच का मार्ग स्पष्टतः कम से कम 355 मिलीमीटर का होगा। प्रत्येक यात्री सीट का न्यूनतम क्षेत्रफल 447मिलीमीटरX457मिलीमीटर का होगा और एक आर्मरेस्ट दोनो ओर होगा और सीट पार्श्व पूरी ऊंचाई का होगा।

177ग **शिथिलीकरण प्रदान करने की शक्ति–** राज्य सरकार डीलक्स शयनयान या अर्द्धशयनयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी वाहन को आदेश द्वारा ऊपर दर्शायी गयी किसी भी एक या अन्य शर्त से लिखित कारण दर्शातें हुये शिथिलीकरण प्रदान कर सकती है।

177घ **पंजीयन प्रमाण पत्र और परमिट में प्रविष्टि–** डीलक्स शयनयान या अर्द्ध शयनयान, जैसी भी स्थिति हो, के पंजीयन प्रमाणपत्र और परमिट में सीट क्षमता शयन क्षमता और वातानुकूलित युक्त अथवा मुक्त सम्बन्धी विवरण दर्ज किये जायेंगे।

नियम 205क से 205ग तक का बढाया जाना

21 मूल नियमावली में नियम 205 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

205क अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी का कर्तव्य (1) अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी मापमान पर बनायी गयी एक स्थल योजना तैयार करेगा जिससे कि यथास्थिति मार्ग/मार्गों या स्थान का अभिन्यास और चौडाई आदि सम्मिलित यान/यानों या व्यक्तियों और ऐसे अन्य तथ्यों, जैसा कि स्थिति के अनुसार सुसंगत हो तथा साक्षीगण द्वारा अभिप्रमाणित हो, की स्थिति इंगित हो सके और यदि कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो तो वही अभिलिखित हो जायेंगे, जिससे कि दुर्घटना से सम्बन्धित साक्ष्य को संरक्षित रखा जा सके। वह अन्य बातों के साथ–साथ दावा अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ दुर्घटना स्थल की सभी कोणों से फोटोग्राफी करवायेगा, जिससे कि उपर्युक्त घटना का स्पष्ट रूप से चित्रण हो सके।

(2) अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी, दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त मोटरयान के सम्बन्ध में बीमा प्रमाण पत्र/पालिसी की पूर्ण विशिष्टियों को प्राप्त करेगा और धारा 158 की उपधारा (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा और उस पर उन्हे या तो प्राप्ति के सापेक्ष अपने पास रख लेगा या उन्हे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणन के बाद उनकी छायाप्रतियां रख लेगा।

(3) अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी दस्तावेज जारी किये जाने के लिये तात्पर्यित प्राधिकारी से लिखित रूप में पुष्टि करने के पश्चात उपनियम (2) के अधीन एकत्रित दस्तावेजों की वास्तविकता को सत्यापित कर सकता है।

(4) अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी दुर्घटना के सम्बन्ध में दावा अधिकरण को उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी स्थल योजना और छायाचित्रों, उपनियम (2) और (3) के अधीन संग्रहित और सत्यापित दस्तावेजों अथवा जाली पाये गये दस्तावेजों के मामलें में की गयी कार्यवाही, दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट की प्रतियां, चिकित्सा विधि रिपोर्टों और शव परीक्षण रिपोर्ट (मृत्यु के मामलें में) तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट दावा अभिकरण द्वारा जारी किये गये आदेश/अध्यपेक्षा की प्राप्ति से अनधिक 15 दिवसों में प्रस्तुत करेगा।

परन्तु यह कि ऐसी सूचना बीमा कम्पनी को भी उपलब्ध करायी जा सकती है यदि इसका अनुरोध उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता के माध्यम से या आहत/उपहत व्यक्ति द्वारा अथवा दुर्घटना के मृतक के अगले सम्बन्धी या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया गया हो अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी इस नियम के अधीन प्रपत्र एसआर

49ग में दावा अधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) उपनियम (1) से (3) में प्रमाणित अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी के कर्तव्य को इस रूप में मान लिया जायेगा मानो कि वे उत्तराखण्ड पुलिस अधिकारी के कर्तव्य को उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम, 1861 यथा उत्तराखण्ड में लागू की धारा 23 में सम्मिलित हो और तत्सम्बन्ध में किसी प्रकार का उल्लंघन के परिणाम वहीं होंगे जो उक्त विधि में परिकल्पित है।

205ख **यान की निर्मुक्ति के विरूद्ध प्रतिषेध (1)** किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त किसी यान को, अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी या उससे वरिष्ठ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा तब तक निर्मुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि कोई निर्मुक्ति आदेश अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है।

(2) किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त किसी यान को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तब तक निर्मुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा नियम 205क के उपनियम (1) से (3) का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है और यथास्थिति यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, मार्ग परमिट, उपयुक्तता प्रमाण पत्र की सम्यक रूप से सत्यापित प्रतियों और दुर्घटना के समय वाहन चलाने वाले चालक की चालन अनुज्ञप्ति को आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है।

(3) कोई भी न्यायालय दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता का कारण बनी किसी भी यान को अवमुक्त नहीं करेगा यदि ऐसे यान के पास तीसरे पक्ष की जोखिम उठाने की बीमा पालिसी नहीं है जब तक कि प्रतिकर के भुगतान के लिये न्यायालय के समाधान के अनुसार यान का स्वामी/रजिस्टर्ड स्वामी पर्याप्त प्रतिभूति जमा न कर दें जिससे ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न दावे के मामलें में भुगतान किया जा सके।

(4) जहां यान से सम्बन्धित बीमा पालिसी में तीसरे पक्ष के लिये जोखिम समावेशित नहीं है या जब यान का स्वामी/रजिस्टर्ड स्वामी उपनियम (3) के अधीन पर्याप्त सुरक्षा देने में विफल रहा है या स्वामी द्वारा प्रस्तुत बीमा पालिसी जाली/नकली पाया जाता है तो यान अधिकारिता विषयक वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सार्वजनिक नीलामी में और अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा यान जब्त किये जाने से छः मास की समाप्ति पर बेचा जायेगा और उसके आगम को प्रश्नगत क्षेत्र में अधिकारिता वाले दावा अधिकरण में दावे के मामलें में दिये जाने वाले प्रतिकर का समाधान करने के लिये जमा किया जायेगा।

205ग **रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकरी का कर्तव्य (1)** मोटरयान के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, चालन अनुज्ञप्ति जारी करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी

एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा या रजिस्ट्रीकरण का सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र और पूर्ण ब्यौरो के साथ अन्य दस्तावेजों और दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त हुये यान के चालक का चालन अनुज्ञप्ति का रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जब अधिकरण द्वारा निर्देशित हो या बीमा कम्पनी द्वारा कहा गया हो।

(2) मोटरयान के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी और अनुज्ञापन प्राधिकारी व्यक्ति/व्यक्तियों को उपनियम (1) में उल्लिखित सूचना से जो प्रतिकर के लिये याचिका दाखिल किया है या दाखिल करना चाहता है या यथास्थिति मृतक के अगले सम्बन्धी या विधिक प्रतिनिधियों जो दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त हुये हो उपलब्ध करायेगा।

नियम 206 का संशोधन **22** मूल नियमावली के नियम 206 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
206 प्रतिकर के लिये आवेदन (1) धारा 166 के अधीन दिया गया प्रतिकर के भुगतान के लिये प्रत्येक आवेदन यथासम्भव यदि प्रतिकर का दावा, धारा 163क के अधीन अन्यथा किया जाता है तो प्रारूप एसआर 50 में और यदि प्रतिकर का दावा धारा 163क के अधीन दिया जाता है तो प्रारूप एसआर 51 में दिया जायेगा और उसके साथ न्यायालय स्टाम्प फीस के रूप में दस रूपये की फीस होगी; परन्तु यह कि धारा 163क के अधीन प्रतिकर के दावे का पूर्ण और अंतिम परिनिर्धारण होगा और दावेदार अधिनियम के अधीन दावे के लिये कोई अन्य आवेदन दाखिल करने का हकदार नहीं होगा।	**206 प्रतिकर के लिये आवेदन (1)** धारा 166 के अधीन दिया गया प्रतिकर के भुगतान के लिये प्रत्येक आवेदन यथासम्भव यदि प्रतिकर का दावा, धारा 163क के अधीन के अन्यथा किया जाता है तो प्रारूप एसआर 50 में और यदि प्रतिकर का दावा धारा 163क के अधीन किया जाता है तो प्रारूप एसआर 51 में दिया जायेगा और उसके साथ न्यायालय स्टाम्प फीस के रूप में दस रूपये की फीस होगी। परन्तु यह कि धारा 163क के अधीन प्रतिकर के दावे का पूर्ण और अंतिम परिनिर्धारण होगा और दावेदार अधिनियम के अधीन दावे के लिये कोई अन्य आवेदन दाखिल करने का हकदार नहीं होगा।

(2) दावा अधिकरण के समक्ष उपनियम (1) में उल्लिखित सभी आवेदन पत्रों से भिन्न, सभी आवेदन पत्रों पर पांच रूपये का न्यायालय स्टाम्प शुल्क लगाया जायेगा। दस रूपये की आदेशिका फीस न्यायालय स्टाम्प शुल्क के रूप में होगी जिसका भुगतान प्रत्येक साक्ष्य या सम्बन्धित पक्ष के लिये किया जायेगा।

(2) दावा अधिकरण के समक्ष उपनियम (1) में उल्लिखित सभी आवेदन पत्रों से भिन्न, सभी आवेदन पत्रों पर पांच रूपये का न्यायालय स्टाम्प शुल्क लगाया जायेगा। दस रूपये की आदेशिका फीस न्यायालय स्टाम्प शुल्क के रूप में होगी जिसका भुगतान प्रत्येक साक्ष्य या सम्बन्धित पक्ष के लिये किया जायेगा।

(3) इस नियम के अधीन आवेदन पत्र दावा अधिकरण के समक्ष आवेदक द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया जायेगा जब तक कि पर्याप्त कारण से स्वयं उपस्थित होने से निवारित न किया गया हो, ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र को या तो रजिस्टर्ड डाक से दावा अधिकरण को भेजा जा सकता है या इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

(3) इस नियम के अधीन आवेदन पत्र दावा अधिकरण के समक्ष आवेदक द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया जायेगा जब तक कि पर्याप्त कारण से स्वयं उपस्थित होने से उसे निवारित न किया गया हो, ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र को या तो रजिस्टर्ड डाक से दावा अधिकरण को भेजा जा सकता है या इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

(4) सबूत के लिये समस्त दस्तावेजों और शपथपत्रों एवं सभी तथ्यों जिस पर आवेदक अपने दावे के सन्दर्भ में निर्भर करता है, के समर्थन में शपथपत्रों, दस्तावेजों की एक सूची में प्रविष्ट करने के पश्चात प्रस्तुत किया जायेगा;

परन्तु यह कि दावा अधिकरण किसी आवेदक को उसके दावे के समर्थन में किसी ऐसे दस्तावेज या शपथपत्रों का सहारा लेने की अनुमति

नहीं दे सकता है जो आवेदन के साथ दाखिल न किया गया हो, जब तक कि यह समाधान न हो जाय कि सद्भाव या पर्याप्त कारण से उसे ऐसे दस्तावेजों या शपथपत्रों को पूर्व में प्रस्तुत करने से रोका गया था।

(5) आवेदक चिकित्सा विधि परीक्षण रिपोर्ट, शव परीक्षण रिपोर्ट (मृत्यु के मामले में), बीमा प्रमाण पत्र/पालिसी और नियम 205ग के अधीन अभिप्राप्त चालन अनुज्ञप्ति और नियम 205क के उपनियम (4) के अधीन अभिप्राप्त रिपोर्ट/सूचना की प्रतियां उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन के साथ दाखिल करेगा।

(6) आवेदक अपने काउंसेल द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित अपना छायाचित्र प्रतिकर के लिये आवेदन पर चिपकायेगा और दावा अधिकरण के समाधान के लिये उनके पहचान का सबूत भी दाखिल करेगा जब तक कि लिखित रूप में अभिलिखित कारणों के लिये ऐसा करने से छूट प्राप्त न हो।

(7) दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त यान का ड्राइवर अधिनियम की धारा 166 के अधीन दाखिल प्रतिकर के लिये आवेदन में आवश्यक पक्षकार होगा।

नियम 206क और 206ख का बढाया जाना

23 मूल नियमावली में नियम 206 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

206क **धारा 158 की उप धारा (6) के अधीन प्रस्तुत की गयी पुलिस रिपोर्ट**

(1) नियम 205क के उपनियम (4) के अधीन प्रस्तुत की गयी अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट की प्राप्ति पर, दावा अधिकरण उसका परिशीलन करेगा और धारा 166 की उपधारा (4) के अनुसार उचित और प्रभावी कार्यवाही के लिये आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी अग्रतर सूचना या सामग्री मांग सकता है।

(2) दावा अधिकरण रिपोर्ट और अग्रतर सूचना/सामग्री यदि मांगी गयी हो, का परीक्षण करने के पश्चात उस पर दावा वाद पंजीकृत

करेगा और तब सभी सम्बन्धित पक्षकारों को उपसंजाति होने के लिये ऐसी नोटिस जारी करेगा जिसमें, यथास्थिति, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अथवा मृतक व्यक्तियों के विधिक प्रतिनिधि, दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त यान का ड्राइवर, स्वामी और बीमाकर्ता सम्मिलित होंगे।

(3)सूचना की प्राप्ति पर, उपनियम (2) में उल्लिखित पक्षकारों से शपथ पत्र के माध्यम से उपसंजाति होने और घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी, यदि उसी वाद हेतुक के सम्बन्ध में कोई दावा वाद किया जा चुका हो या किया जा रहा हो और यदि ऐसा हो तो दावा वाद के रूप में मानी गयी अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को पक्षकारों द्वारा ऐसे दावा वाद को संलग्न किया जायेगा।

(4)यदि घायल व्यक्ति या मृतक व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि उपनियम (3) में उपदर्शित की गयी रीति से उपनियम (2) के अधीन जारी की गयी सूचना की अनुक्रिया में उपस्थित नहीं होते है/होता है तो दावा अधिकरण यह उपधारित कर सकता है कि उक्त पक्षकार ऐसे कार्यवाहियों में किसी प्रतिकर के लिये उसका पालन करने में हितबद्ध नहीं थे और ऐसी उपधारणा पर वाद को बंद कर दिया जायेगा।

(5)जब तक दावा वाद के रूप में मानी गयी पुलिस रिपोर्ट स्वयं पक्षकारों द्वारा किये गये स्वतन्त्र दावा वाद से सम्बद्ध नहीं कर दी जाती है तब तक दावा अधिकरण यथास्थिति घायल व्यक्ति या मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों और ऐसे व्यक्तियों, जो सूचना की अनुक्रिया में उपस्थित हुये हो, से प्रतिकर के सम्बन्ध में तथ्यों के कथन यदि उनके द्वारा दावा किया गया हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(6) यदि दावा किये गये प्रतिकर के बारे में तथ्यो और उनके आधार का कथन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो वाद उसी रीति से अग्रतर आगे बढाया जायेगा जैसा कि दावा अधिकरण के समक्ष पक्षकारों द्वारा प्रतिकर के लिये सीधे दिये गये आवेदनों को निपटाने के लिये अपेक्षित होता है।

(7)यदि दावा किये गये प्रतिकर के सम्बन्ध में तथ्यों के कथन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत कर दिये गये हो और तत्पश्चात प्रकट रूप से त्रुटि करता है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश नौ के उपबन्ध लागू होंगे।

206ख बीमा कम्पनी के कर्तव्य (1) बीमा कम्पनी, जिसने दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त यान का बीमा किया है, यान के बीमा और बीमा पालिसी के सम्बन्ध में तथ्यों को अभिनिश्चित और सत्यापित करेगी और अधिकरण के समक्ष दावा याचिका में लिखित कथन/आपत्ति के साथ बीमा पालिसी की अपेक्षित प्रतियों को भी दाखिल करेगी।

(2)बीमा कम्पनी ऐसे वादों में अधिनियम की धारा 140 के अधीन किसी त्रुटि के बिना दायित्व के सिद्धान्त पर अधिनिर्णय प्रतिकर के बराबर धनराशि अधिकरण में लिखित कथन के साथ जमा करेगी जहां बीमा पालिसी से आच्छादित मोटरयान वाद के परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी निःशक्तता हुयी हो।

(3)उपनियम (2) के अधीन जमा की गयी प्रतिकर की धनराशि का भुगतान अधिकरण द्वारा युक्तियुक्तपूर्वक अधिरोपित निबंधन और शर्तों पर दावेदार को अंतरिम प्रतिकर के रूप में मामले में अंतिम अधिनिर्णय के साथ समायोजन के अध्यधीन आंशिक या पूर्ण रूप में किया जा सकता है।

नियम 24 209 का संशोधन

मूल नियमावली के नियम 209 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
209 सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस यदि आवेदन नियम 208 के अधीन खारिज न कर दिया गया हो, तो दावा अधिकरण दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त मोटरयान के स्वामी और उसके बीमाकर्ता को आवेदन की प्रति के साथ ऐसे दिनांक को नोटिस भेजेगा जब वह आवेदन की सुनवायी करेगा और पक्षकारों को किसी ऐसे साक्ष्य को जो वे प्रस्तुत करना चाहें, प्रस्तुत करने के लिये कहेगा।	**209 सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस (1)** यदि आवेदन नियम 208 के अधीन खारिज न कर दिया गया हो तो, दावा अधिकरण दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त मोटरयान के स्वामी और उसके बीमाकर्ता को आवेदन की प्रति और प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के साथ ऐसे दिनांक को नोटिस भेजेगा जब वह आवेदन की सुनवायी करेगा। विरोधी पक्षकारों को किसी ऐसे साक्ष्य को जो वे प्रस्तुत करना चाहे, उस दिनांक को प्रस्तुत करने के लिये कहेगा। **(2)** प्रत्येक बीमा कम्पनी किसी प्राधिकारी सहित अपना एक काउंसेल नामनिर्दिष्ट करेगी जो जिला जज/अधिकरण को लिखित सूचना सहित बीमा कम्पनी की ओर से अधिकरण द्वारा दावा–याचिकाओं में जारी किये गये नोटिस को प्राप्त करेगा। परन्तु यह कि इस प्रकार नियुक्त नामनिर्दिष्ट काउंसेल

सम्बन्धित बीमा कम्पनी की ओर से दावा याचिका में अधिकरण द्वारा जारी नोटिस को प्राप्त करेगा और उसके द्वारा नोटिस की अस्वीकृति को सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा नोटिस की अस्वीकृति के रूप में माना जायेगा।

नियम 25 209क का बढाया जाना

मूल नियमावली में नियम 209 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिया जायेगा, अर्थात–

209क बीमा कम्पनियों द्वारा बेबसाइटों का सृजन सभी बीमा कम्पनियां पूर्ण विवरण सहित अपने समस्त लम्बित दावा वादों की बेबसाइट सृजित करेंगी। बेबसाइट में राज्य के जिलेवार पृथक–पृथक वाद अन्तर्दिष्ट होंगे, ताकि वादों की अनुकृति आदि की पहचान की जा सके।

नियम 26 210 का संशोधन

मूल नियमावली के नियम 210 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
210 पक्षकारों की उपस्थिति और उनका मौखिक परीक्षण (1) मोटरयान का स्वामी और बीमाकर्ता, प्रथम सुनवायी पर या उसके पूर्व या उसके बाद ऐसे समय के भीतर जिसे दावा अधिकरण अनुमत करे, आवेदन में उठाये गये दावों के सम्बन्ध में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और ऐसा कोई लिखित कथन अभिलेख, का भाग होगा।	**210 पक्षकारों की उपस्थिति और उनका मौखिक परीक्षण (1)** मोटरयान का स्वामी और बीमाकर्ता, प्रथम सुनवायी पर या ऐसे अग्रतर समय के भीतर जिसे दावा अधिकरण अनुमत करे, आवेदन में उठाये गये दावों के सम्बन्ध में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और ऐसा कोई लिखित कथन अभिलेख का भाग होगा।

(2) जहां दावे का प्रतिवाद किया जाय वहां दावा अधिकरण पक्षकारों के बीच विवाद में के किसी विषय का स्पष्टीकरण की दृष्टि से ऐसे पक्षकारों का दावे की कार्यवाही में ऐसा मैखिक परीक्षण कर सकता है जैसा वह उचित समझता हो और परीक्षण के सार को, यदि कोई हो, लेखबद्ध करेगा।

(2) जहां दावे का प्रतिवाद किया जाय वहां दावा अधिकरण पक्षकारों के बीच विवाद में से किसी विषय का विशदीकरण की दृष्टि से ऐसे पक्षकारों का दावे की कार्यवाही में ऐसा मौखिक परीक्षण कर सकता है जैसा वह उचित समझता हो और परीक्षण के सार को यदि कोई हो, लेखबद्ध करेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन लिखित कथन को प्रस्तुत करने के लिये प्रथम सुनवाई का दिनांक मोटरयान के स्वामी/ड्राइवर और उसके बीमाकर्ता को नोटिस जारी किये जाने के दिनांक से एक माह से अधिक नहीं होगा और उसके लिये एक माह से अधिक का कोई अग्रतर समय नहीं दिया जायेगा।

(4) विरोधी पक्षकार लिखित कथन, समस्त दस्तावेजों और उनके सबूत के लिये तथा ऐसे समस्त तथ्यों, जिनके आधार पर विरोधी पक्षकार दस्तावेजों की किसी सूची में सम्यक रूप से दर्ज अपनी प्रतिरक्षा के संदर्भ में निर्भर हो, के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे और वे इस प्रकार प्रस्तुत किये गये लिखित कथन, दस्तावेजों और शपथपत्रों की प्रतियां आवेदक को प्रदान करेंगे।

परन्तु यह कि अधिकरण प्रतिरक्षा के समर्थन में लिखित कथन के साथ प्रस्तुत न किये गये किसी दस्तावेज या शपथ पत्र पर विरोधी पक्षकार को निर्भर रहने की तब तक अनुज्ञा नहीं देगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है कि समुचित या पर्याप्त कारणों से उसे ऐसे दस्तावेजों या शपथपत्र को पूर्व में प्रस्तुत करने से रोका गया था।

(5) प्रतिकर के लिये आवेदन का विनिश्चय जब दावे को किन्ही विरोधी पक्षकारों द्वारा अस्वीकृत न किया जाय/विरोध न किया जाय तब प्रतिकर के लिये आवेदन का विनिश्चय लिखित कथन प्रस्तुत करने के दिनांक को किया जायेगा।

नियम 210क का बढाया जाना **27** मूल नियमावली में, नियम 210 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिया जायेगा, अर्थात–

210क लोक अदालत में परिनिर्धारण के लिये निर्देश (1) विरोधी पक्षकारों द्वारा उपस्थित होने और लिखित कथन प्रस्तुत करने के पश्चात दावा अधिकरण पारस्परिक परिनिर्धारण या प्रशमन के माध्यम से दावा याचिका के निस्तारण के लिये प्रयास करेगा और मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से परिनिर्धारण के लिये लोक अदालत को निर्दिष्ट कर सकता है;

परन्तु यह कि याचिका के पक्षकारों और उनके अभिकर्ताओं को दावा अधिकरण द्वारा किसी नियत दिनांक को लोक अदालत में उपस्थित होने और उसमें सहभागिता करने के लिये कहा जा सकता है।

(2) यदि परिनिर्धारण नहीं होता है तो उपनियम (1) के अधीन लोक अदालत को निर्दिष्ट वाद को लोक अदालत में दो माह से अधिक समय तक प्रतिधारित नहीं किया जायेगा और उसमें उपसंजत होने के दिनांक को नियत करने के पश्चात अधिकरण को वापस भेजा जा सकता है।

नियम 212 का संशोधन **28** मूल नियमावली के नियम 212 में नीचे स्तम्भ **1** में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ **2** में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
212 साक्षियों को सम्मन जारी करना (1) जहां किसी पक्षकार द्वारा कार्यवाही में साक्षियों को आहूत करने के लिये कोई आवेदन दिया जाय, वहां दावा अधिकरण, यदि वह इस विचार का न हो कि उसका उपस्थित होना मामलें के	**212 साक्षियों को सम्मन जारी करना (1)** जहां किसी पक्षकार द्वारा कार्यवाही में साक्षियों को आहूत करने के लिये कोई आवेदन दिया जाय, वहां दावा अधिकरण, यदि वह इस विचार का न हो, कि उसका उपस्थित होना वाद के न्यायपूर्ण निर्णय के लिये आवश्यक नहीं है,

न्यायपूर्ण निर्णय के लिये आवश्यक नहीं है, अन्तर्ग्रस्त व्ययों के, यदि कोई हो, भुगतान करने पर ऐसे साक्षियों को उपस्थित होने के लिये सम्मन जारी करेगा।

सम्बन्धित व्यय का, यदि कोई हो, भुगतान करने पर ऐसे साक्षियों को उपस्थित होने के लिये सम्मन जारी करेगा।

(2) यदि दावा अधिकरण की राय में पक्षकार वित्तीय रूप से निर्धन हो तो वह साक्षियों को शमन करने में हुये व्ययों के भुगतान के लिये उस पर जोर नहीं दे सकता है और उसका वहन सरकार द्वारा किया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि पक्षकार दावा वाद में पूर्णतया या आंशिक रूप से सफल होता है तो इस प्रकार का उपगत व्ययों का भुगतान विरोधी पक्षकार द्वारा सरकार को करने के लिये निर्देश दिया जायेगा।

नियम 213क का बढाया जाना **29** मूल नियमावली में नियम 213 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिया जायेगा, अर्थात–

213क पत्रजातों के सम्बन्ध में उपधारणा नियम 205क, 205ख और 205ग के अधीन प्रस्तुत किये गये, और जारी किये गये रिपोर्टों, प्रमाणपत्रों और पत्रजातों को सही माना जायेगा और उनका वाचन तब तक साक्ष्य में बिना औपचारिक प्रमाण के किया जायेगा, जब तक वे अन्यथा साबित नहीं हो जाते है।

नियम 214 का संशोधन **30** मूल नियमावली के नियम 214 में नीचे स्तम्भ **1** में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ **2** में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ 2** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
214 साक्ष्य अभिलिखित करने की विधि (1) दावा अधिकरण किसी पक्षकार के परीक्षण या किसी साक्षी द्वारा अदालत के सामने दिये गये बयान (अभिसाक्ष्य) के सार का एक संक्षिप्त ज्ञापन बनायेगा और ऐसे ज्ञापन को दावा अधिकरण द्वारा लेखबद्ध और	**214 साक्ष्य अभिलिखित करने की विधि (1)** दावा अधिकरण किसी पक्षकार के परीक्षण या किसी साक्षी द्वारा अदालत के सामने दिये गये बयान (अभिसाक्ष्य) के सार का एक संक्षिप्त ज्ञापन बनायेगा और ऐसे ज्ञापन को दावा अधिकरण द्वारा लेखबद्ध और हस्ताक्षरित किया जायेगा और वह अभिलेख का भाग

हस्ताक्षरित किया जायेगा और वह अभिलेख का भाग बनेगा;

परन्तु यह कि किसी चिकित्सा साक्षी के साक्ष्य को यथासम्भव शब्दशः लिखा जायेगा।

परन्तु यह और कि जहां दावा अधिकरण कोई ज्ञापन बनाने में असमर्थ हो तो वह ऐसी असमर्थता के कारणों को अभिलिखित करायेगा और अपने श्रुतिलेख से ज्ञापन बनवायेगा।

बनेगा;

परन्तु यह कि किसी चिकित्सा साक्ष्य को यथासम्भव शब्दशः लिखा जायेगा।

परन्तु यह और कि जहां दावा अधिकरण कोई ज्ञापन बनाने में असमर्थ हो तो वह ऐसी असमर्थता के कारण को अभिलिखित करायेगा और अपने श्रुतिलेख से ज्ञापन बनवाये।

(2) अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा विधि रिपोर्टों, शव–परीक्षण रिपोर्टों और रिपोर्टों से सम्बन्धित पत्रजात जिन्हे दावा अधिकरण उचित समझे, तत्सम्बन्धी औपचारिक सबूत के बिना साक्ष्य में ग्राहय होंगे तथापि इन दस्तावेजों और पत्रजातों से सम्बन्धित साक्ष्य का परीक्षण शपथ पूर्वक किया जा सकता है यदि उक्त वाद की परिस्थितियों में आवश्यक रूप में अपेक्षित हो।

नियम 215 का संशोधन **31** मूल नियमावली नियम 215 में नीचे स्तम्भ **1** में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर, स्तम्भ **2** में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
215 स्थानीय निरीक्षण (1) दावा अधिकरण, अपने समक्ष किसी जांच के किसी प्रकम पर और पक्षकारों को सम्यक नोटिस देने के पश्चात उस स्थल पर जहां दुर्घटना हुयी या कोई अन्य स्थान या वस्तु	**215 स्थानीय निरीक्षण (1)** दावा अधिकरण अपने समक्ष किसी जांच के किसी प्रकम पर और पक्षकारों को सम्यक नोटिस देने के पश्चात उस स्थल पर जहां दुर्घटना घटित हुयी या कोई अन्य स्थान या वस्तु जो उसकी राय में वाद के उचित

जो उसकी राय में वाद के उचित निर्णय के लिये देखना आवश्यक है, जा सकता है और निरीक्षण कर सकता है।

निर्णय के लिये देखना आवश्यक है जा सकता है और निरीक्षण कर सकता है।

(2) दावा अधिकरण द्वारा स्थानीय निरीक्षण के समय कार्यवाही का कोई पक्षकार या उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।

(2) दावा अधिकरण द्वारा स्थानीय निरीक्षण के समय कार्यवाही का कोई पक्षकार या उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।

(3) स्थानीय निरीक्षण के पश्चात दावा अधिकरण यथाशक्य शीघ्र ऐसे निरीक्षण में पाये गये किसी सुसंगत तथ्य का ज्ञापन अभिलिखित करेगा और ऐसा ज्ञापन जांच का भाग होगा।

(3) स्थानीय निरीक्षण के पश्चात दावा अधिकरण यथाशक्य शीघ्र ऐसे निरीक्षण में पाये गये किसी सुसंगत तथ्य का ज्ञापन अभिलिखित करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा।

(4) दावा अधिकरण इस नियम के अधीन या अपने समक्ष लम्बित वाद के किसी अन्य प्रकम में स्थानीय निरीक्षण के दौरान ऐसे वाद से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने में सम्भावित रूप से समर्थ किसी व्यक्ति से संक्षिप्त रूप से पूछताछ कर सकता है। चाहे उक्त वाद में ऐसे व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाया गया हो अथवा नहीं और चाहे कोई पक्ष का उपस्थित हो अथवा नहीं।

नियम 222क और 222ख का बढाया जाना

32 मूल नियमावली में नियम 222 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

222क प्रतिकर का अवधारण (1) समस्त दावा वादों में प्रतिकर स्वरूप संदेय हानि की क्षति के अवधारण के लिये गुणक का उपयोग अधिनियम, में उपबंधित द्वितीय अनुसूची के अनुसार किया जायेगा।

(2) किसी मृतक के वैयक्तिक और निर्वाह व्ययों की कटौती निम्नानुसार होगी–

(एक) किसी अविवाहित मृतक के वैयक्तिक व्ययों के निमित्त कटौती 50 प्रतिशत होगी, जहां किसी अविवाहित का परिवार बडा हो और मृतक की आय पर निर्भर हो, वहां कटौती 1/3 (33.33 प्रतिशत)

होगी।

(दो) किसी विवाहित मृतक व्यक्ति के वैयक्तिक और निर्वाह व्ययों के निमित्त कटौती एक तिहाई होगी, जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या दो से तीन तक हो, जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या चार से छः तक हो, वहां 1/4 होगी और जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या छः से अधिक हो, वहां 1/5 होगी।

(तीन) खण्ड (दो) में परिवार के सदस्यों की संख्या की गणना के प्रयोजनार्थ अवयस्क आश्रित की गणना अर्द्ध व्यक्ति के रूप में की जायेगी।

(3) किसी मृतक की संभावित प्रत्याशाओं को, मृतक की वास्तविक वेतन या न्यूनतम मजदूरी में निम्नानुसार जोड दिया जायेगा–

(एक) 40 वर्ष की आयु से कम; वेतन का 50 प्रतिशत

(दो) 40–50 वर्ष की आयु के मध्य; वेतन का 30 प्रतिशत

(तीन) 50 वर्ष की आयु से अधिक; वेतन का 20 प्रतिशत

(चार) जब मजदूरी पर्याप्त रूप में प्रमाणित न हो; मुद्रास्फीति और मूल्य सूचकांक के साथ पचास प्रतिशत

(4) गैर आर्थिक नुकसान प्रतिकर में निम्नानुसार संदेय होंगे–

(एक) सम्पदा की क्षति के लिये प्रतिकर;	रू0 5000 से रू0 10,000 तक
(दो) संगठन की क्षति के लिये प्रतिकर	रू0 5000 से रू0 10000 तक
(तीन) प्रेम और स्नेह की क्षति के लिये प्रतिकर	रू0 5000 से रू0 15000 तक
(चार) अंत्येष्टि व्यय, शव परिवहन लागत	रू0 5000 या वास्तविक व्यय जो कम हो।
(पांच) चिकित्सा व्यय	दावा अधिकरण के समाधान हेतु प्रमाणित वास्तविक व्यय।

(5) चोटों, आंशिक अथवा स्थायी निःशक्तता के वादों में प्रतिकर के निर्धारण के लिये अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे।

परन्तु यह कि निःशक्त दावेदारों के भविष्य पर निःशक्तता की प्रकृति, सीमा और उसके प्रभाव पर आधारित स्थायी निःशक्तता की स्थिति में दावा अधिकरण उपनियम (3) के अनुसार भावी प्रत्याशाओं के लिये प्रतिकर भी अधिनिर्णीत कर सकता है।

(6) भविष्य तक ब्याज दर का वास्तविक भुगतान किये जाने तक 7 प्रतिशत विचाराधीन रहेगा।

222ख दावेदारों का ब्याज सुनिश्चित करना (1) जहां दावा अधिकरण में जमा की गयी कोई एकमुश्त प्रतिकर की धनराशि विधिक रूप से निःशक्त किसी महिला या किसी व्यक्ति की संदेय हो, वहां ऐसी महिला की प्रसुविधा के लिये या निःशक्तता के दौरान ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति से जैसा कि दावा अधिकरण, घायल के या मृतक के उत्तराधिकारी की भलाई का प्राविधान करने के लिये सर्वोत्तम रूप से उचित समझे, ऐसी धनराशि का विनिधान एवं उपयोग किया जा सकता है या उसे अन्यथा इसे व्यवहरित किया जा सकता है।

(2) जहां इस निमित्त या अन्यथा दावा अधिकरण को किये गये आवेदन पर दावा अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि माता पिता की ओर से बालकों की उपेक्षा के कारण या किसी आश्रित की परिस्थितियों की भिन्नता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में या उस रीति के सम्बन्ध में जिसमें ऐसे किसी आश्रित को संदेय किसी धनराशि का विनिधान एवं उपयोग किया जाना हो, या उसे अन्यथा व्यवहरित किया जाना हो, दावा अधिकरण के किसी आदेश में भिन्नता की जानी हो, वहां दावा अधिकरण पूर्ववर्ती आदेश की भिन्नता के लिये ऐसे अग्रतर आदेश कर सकता है जैसा कि वह वाद की परिस्थितियों में न्यायसंगत समझे।

(3) दावा अधिकरण अवयस्क के मामलें में यह आदेश दे सकता है कि ऐसे अवयस्क को अधिनिर्णीत प्रतिकर की धनराशि का विनिधान ऐसे अवयस्क के वयस्क होने तक सावधि जमा में किया जायेगा संरक्षक या उसके अगले मित्र द्वारा उपगत व्ययों का प्रत्याहरण ऐसे संरक्षक या उसके अगले मित्र द्वारा ऐसे जमा से उसे जमा किये जाने के पूर्व करने की अनुमति दी जा सकती है;

परन्तु यह कि अवयस्क की शिक्षा, भरण पोषण और उसके विकास के लिये दावा अधिकरण की अनुज्ञा से ऐसी जमा पर संदेय ब्याज का उपयोग करने की अनुमति की जा सकती है।

(4) दावा अधिकरण, निरक्षर दावेदारों के मामलों में यह आदेश देगा कि अधिनिर्णीत प्रतिकर की धनराशि का विनिधान न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक के लिये सावधि जमा में किया जाय, किन्तु यदि दावेदार की आय में वृद्धि करने के लिये कोई धनराशि किसी चल या अचल सम्पत्ति के क्रय को प्रभावी करने के लिये अपेक्षित हो तो दावा अधिकरण इस बात के संतुष्ट हो जाने के पश्चात कि उक्त धनराशि वस्तुतः उक्त प्रयोजनार्थ व्यय की जायेगी और उक्त मांग धनराशि को प्रत्याहरित करने की चाल न हो, ऐसे अनुरोध पर

विचार करेगा।

(5) दावा अधिकरण अर्द्ध साक्षर व्यक्ति के मामलें में उपनियम (4) में दी गयी अधिनिर्णीत धनराशि को जमा करने की प्रकिया को तब तक अपनायेगा जब तक लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि धनराशि की पूर्ण या आंशिक धनराशि किसी विद्यमान कारबार के विस्तार के लिये या उपनियम (4) में यथाविनिर्दिष्ट और उल्लिखित किसी सम्पत्ति के क्रय के लिये अपेक्षित हो, ऐसे वाद में दावा अधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त धनराशि का विनिधान इस प्रयोजन के लिये किया जाय जिसके लिये इसका अनुरोध और संदाय किया गया हो।

(6) यदि आयु, आर्थिक पृष्ठभूमि और सोसाइटी, जिससे दावेदार सम्बन्धित हो, की स्थिति और ऐसे अन्य प्रतिफल को दृष्टिगत रखते हुये दावा अधिकरण दावेदार के वृहत्तर हित में और अधिनिर्णीत प्रतिकर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह आदेश देना आवश्यक समझता है तो दावा अधिकरण, साक्षर व्यक्तियों के मामलें में उपनियम (4) और (5) में विनिर्दिष्ट अधिनिर्णीत धनराशि को जमा करने की प्रकिया को भी अपनायेगा।

(7) दावा अधिकरण, वैयक्तिक क्षति के मामलों में यदि अग्रतर उपचार आवश्यक हो तो इस बात से संतुष्ट हो जाने पर जिसे लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, ऐसी धनराशि जैसा कि ऐसे उपचार के व्ययों के लिये आवश्यक हो, के प्रत्याहरण की अनुज्ञा दे सकता है।

(8) दावा अधिकरण, धनराशि के विनिधान के मामलें में दावेदार को नियतकालिक आय स्वरूप अधिकतम प्रत्यावर्तन को दृष्टिगत रखते हुये राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो उच्चतर ब्याज दर प्रदान करता हो, को जमा कर सकता है।

(9) दावा अधिकरण, धनराशि का विनिधान करने में यह निदेश देगा कि जमा पर ब्याज का भुगतान दावा अधिकरण को प्रज्ञापित करके जमाधारक संस्था द्वारा सीधे दावेदारों या अवयस्क दावेदारों के संरक्षक को किया जाय।

नियम 229 का संशोधन **33** मूल नियमावली के नियम 229 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**

229 **परिवहन विभाग के अधिकारियों की शक्तियां**– (1) निम्नलिखित स्तम्भ एक में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग के अधिकारी स्तम्भ–2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट धाराओं के उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

क्र0 सं0	अधिकारी	धारा
1	परिवहन आयुक्त,	114 (1), 130(2), 130(3), 136, 203, 206, 207और 213(5)।
2	अपर परिवहन आयुक्त	तदैव
3	उप परिवहन आयुक्त	तदैव
4	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण,	तदैव
5	सहायक परिवहन आयुक्त	तदैव
6	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	तदैव
7	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	तदैव
8	परिवहन कर अधिकारी–1	114(1) और 130
9	परिवहन कर अधिकारी–2	114(1) 206
10	परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी जो परिवहन कर अधिकारी–2 से निम्न श्रेणी का न हो	114(1) 206

(2) उपनियम (1) के स्तम्भ एक में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग का कोई अधिकारी अपने साथ प्रपत्र एस0आर0–52 में परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र रखेगा।

(3) निम्नलिखित स्तम्भ–दो में उल्लिखित परिवहन विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा पहने जाने वाली वर्दी ऐसी होगी जो

229 **परिवहन विभाग के अधिकारियों की शक्तियां**– (1) निम्नलिखित स्तम्भ एक में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग के अधिकारी स्तम्भ–2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट धाराओं के उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे:–

क्र0 सं0	अधिकारी	धारा
1	परिवहन आयुक्त,	114 (1), 130(2), 130(3), 136, 203, 206, 207 और 213(5)।
2	अपर परिवहन आयुक्त	तदैव
3	उप परिवहन आयुक्त	तदैव
4	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण,	तदैव
5	सहायक परिवहन आयुक्त	तदैव
6	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	तदैव
7	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	तदैव
8	परिवहन कर अधिकारी–1	तदैव
9	परिवहन कर अधिकारी–2	114(1), 130(2), 130(3), 206 और 207
10	परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी जो परिवहन कर अधिकारी–2 से निम्न श्रेणी का न हो	तदैव

(2) उपनियम (1) के स्तम्भ एक में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग का कोई अधिकारी अपने साथ प्रपत्र एस0आर0–52 में परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र रखेगा।

(3) निम्नलिखित स्तम्भ–दो में उल्लिखित परिवहन विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा पहने जाने वाली वर्दी ऐसी होगी जो स्तम्भ–3 में उनके

स्तम्भ–3 में उनके सामने सामने उल्लिखित है –
उल्लिखित है –

क्र0 सं0	अधिकारी	वर्दी
(1)	सहायक सम्भागीय–परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन. मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी, (दो) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का पैजामा, (तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (चार) उत्तराखण्ड. परिवहन मोनोग्राम के साथ कंधे पर बैज, (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ की पुलिस पैटर्न की गहरे भूरे रंग की क्रॉस बेल्ट, (छः) कंधों की पट्टी पर पांच नोक वाला सिल्वर प्लेटेड तीन स्टार, (सात) भारतीय सेना के सदृश्य भूरे जूते, (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।
(2)	परिवहन कर अधिकारी–1 या परिवहन आयुक्त द्वारा इसे निमित्त प्राधिकृत परिवहन विभाग का कार्मिक	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी, (दो) कोट (खुला कालर) पुलिस पैटर्न का पैजामा, के साथ बुशर्ट या कमीज जो खाकी रंग के होंगे, (तीन) हल्के नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी, (चार) सिल्वर फिटिंग सहित गहरे भूरे रंग के चमड़े की पुलिस पैटर्न की क्रास बेल्ट, (पांच) सिल्वर प्लेटेड बटन, (छः) काले जूते (सात) पांच नोक वाले दो स्टार जो माप में 25 मी.मी व्यास के होंगे। स्टारहल्का क्रास्ट किया हुआ होगा, किन्तु केन्द्र में कोई डिजाइन नहीं होगी। कन्धे का बैज मोटे अक्षरों में उत्तराखण्ड परिवहन अक्षर से युक्त होगा और कन्धे की पट्टी के तल पर पहना जाएगा। स्टार और अक्षर सफेद धातु के होंगे, (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

क्र0 सं0	अधिकारी	वर्दी
(1)	सहायक सम्भागीय–परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन. मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी, (दो) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का पैजामा, (तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (चार) उत्तराखण्ड. परिवहन मोनोग्राम के साथ कंधे पर बैज, (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ की पुलिस पैटर्न की गहरे भूरे रंग की क्रॉस बेल्ट, (छः) कंधों की पट्टी पर 2.5 से0मी0 व्यास का सिल्वर प्लेटेड अशोक चक्र, (सात) भारतीय सेना के सदृश्य भूरे जूते, (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।
(2)	परिवहन कर अधिकारी–1	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन. मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी, (दो) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का पैजामा, (तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (चार) उत्तराखण्ड. परिवहन मोनोग्राम के साथ कंधे पर बैज, (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ की पुलिस पैटर्न की गहरे भूरे रंग की क्रॉस बेल्ट, (छः) कंधों की पट्टी पर पांच नोक वाला सिल्वर प्लेटेड तीन स्टार, (सात) भारतीय सेना के सदृश्य भूरे जूते, (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

(3)	ज्येष्ठ मोटर यान निरीक्षक	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज या बैरेट टोपी, (दो) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा, (तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन का मोनोग्राम (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की पेटी, (छः) कंधों की पट्टी पर समान्तर पांच नोक वाले तीन स्टार, पीला प्लेटेड, आधा लाल और आधा काला, सात) भूरे जूते (भारतीय सेना के सदृश्य), (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।	(3)	परिवहन कर अधिकारी–2 या परिवहन आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत परिवहन विभाग का कार्मिक	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी, (दो) कोट (खुला कालर) पुलिस पैटर्न का पैजामा, के साथ बुशर्ट या कमीज जो खाकी रंग के होंगे, (तीन) हल्के नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी, (चार) सिल्वर फिटिंग सहित गहरे भूरे रंग के चमड़े की पुलिस पैटर्न की क्रास बेल्ट, (पांच) सिल्वर प्लेटेड बटन, (छः) काले जूते (सात) पांच नोक वाले दो स्टार जो माप में 25 मी.मी व्यास के होंगे। स्टारहल्का क्रास्ट किया हुआ होगा, किन्तु केन्द्र में कोई डिजाइन नहीं होगी। कन्धे का बैज मोटे अक्षरों में उत्तराखण्ड परिवहन अक्षर से युक्त होगा और कन्धे की पट्टी के तल पर पहना जाएगा। स्टार और अक्षर सफेद धातु के होंगे, (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।
(4)	मोटर यान निरीक्षक	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज या बैरेट टोपी, (दो) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (तीन) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकीकमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा, (चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम का बैज, (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की पेटी, (छः) आधा काला, आधा लाल समान्तर शोल्डर स्ट्रेप पर पांच नोक वाले येलो प्लेटेड दो स्टार, (सात) भूरे जूते (भारतीय सेना के सदृश्य), (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।	(4)	ज्येष्ठ मोटर यान निरीक्षक	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज या बैरेट टोपी, (दो) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा, (तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन का मोनोग्राम (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की पेटी, (छः) कंधों की पट्टी पर समान्तर पांच नोक वाले तीन स्टार, पीला प्लेटेड, आधा लाल और आधा काला, सात) भूरे जूते (भारतीय सेना के सदृश्य), (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।
			(5)	मोटरयान निरीक्षक	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज या बैरेट टोपी, (दो) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (तीन) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा, (चार) कंधों पर उत्तराखण्ड

परिवहन मोनोग्राम का बैज,

(पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की पेटी,

(छः) आधा काला, आधा लाल समान्तर शोल्डर स्ट्रेप पर पांच नोक वाले येलो प्लेटेड दो स्टार,

(सात) भूरे जूते (भारतीय सेना के सदृश्य),

(आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

(6) प्रवर्तन चालक

क– ग्रीष्मकालीन वर्दी

(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ गहरे नीले रंग की वी टोपी जो सामने की ओर लाल रंग की होगी।

(दो) नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी होगी,

(तीन) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा,

(चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम का बैज,

(पांच) कंधे पर नीले रंग की पट्टी।

(छः) काले जूते

(सात) काले मोजे

(आठ) मोनोग्राम सहित सिल्वर फिटिंग के साथ काले रंग की पुलिस पैटर्न की पेटी,

(नौ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

ख– शीतकालीन वर्दी

(एक) पूरी बांह की अंगोला कमीज।

(दो) काले ऊनी मोजे।

(तीन) खाकी जैकेट।

टिप्पणी–टोपी, सीटी, कंधे का बैज, पेटी, नाम व पदनाम का बैज ग्रीष्मकालीन वर्दी के अनुसार होगा।

(7) प्रवर्तन पर्यवेक्षक

क– ग्रीष्मकालीन वर्दी

(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ गहरे नीले रंग की वी टोपी जो सामने की ओर लाल रंग की होगी।

(दो) नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी होगी,

(तीन) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा,

(चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम का बैज,

(पांच) कंधे पर नीले रंग की पट्टी।

(छः) काले जूते

(सात) काले मोजे

(आठ) मोनोग्राम सहित सिल्वर फिटिंग के साथ काले रंग की पुलिस पैटर्न की पेटी,

(नौ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के

सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

(दस) दांयी बांह पर वी सेप में तीन सफेद पट्टियां।

ख– शीतकालीन वर्दी

(एक) पूरी बांह की अंगोला कमीज।

(दो) काले ऊनी मोजे।

(तीन) खाकी जैकेट।

टिप्पणी–टोपी, सीटी, कंधे का बैज, पेटी, नाम व पदनाम का बैज ग्रीष्मकालीन वर्दी के अनुसार होगा।

(8) **प्रवर्तन सिपाही**

क– ग्रीष्मकालीन वर्दी

(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ गहरे नीले रंग की वी टोपी जो सामने की ओर लाल रंग की होगी।

(दो) नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी होगी,

(तीन) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा,

(चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम का बैज,

(पांच) कंधे पर नीले रंग की पट्टी।

(छः) काले जूते

(सात) काले मोजे

(आठ) मोनोग्राम सहित सिल्वर फिटिंग के साथ काले रंग की पुलिस पैटर्न की पेटी,

(नौ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

ख– शीतकालीन वर्दी

(एक) पूरी बांह की अंगोला कमीज।

(दो) काले ऊनी मोजे।

(तीन) खाकी जैकेट।

टिप्पणी–टोपी, सीटी, कंधे का बैज, पेटी, नाम व पदनाम का बैज ग्रीष्मकालीन वर्दी के अनुसार होगा।

प्रथम अनुसूची का संशोधन

34 मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दी गयी वर्तमान प्रथम अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ 2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान अनुसूची** **[नियम 42(6) देखिये]** **अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिये जाने में प्रयोग किये जाने वाले रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को आवंटित अक्षर**		**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची** **[नियम 42(6) देखिये]** **अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिये जाने में प्रयोग किये जाने वाले रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को आवंटित अक्षर**	
जिले का नाम	**आवंटित अक्षर**	**जिला/क्षेत्र का नाम**	**आवंटित अक्षर**
अल्मोडा	यू0के0ए0	अल्मोडा	यू0के0ए0

नैनीताल	यू0के0डी0	नैनीताल	यू0के0डी0
बागेश्वर	यू0के0बी0	बागेश्वर	यू0के0बी0
पिथौरागढ	यू0के0ई0	पिथौरागढ	यू0के0ई0
चमोली	यू0के0के	चमोली	यू0के0के
रूद्रप्रयाग	यू0के0एम0	रूद्रप्रयाग	यू0के0एम0
चम्पावत	यू0के0सी0	चम्पावत	यू0के0सी0
टिहरी गढवाल	यू0के0आई0	टिहरी गढवाल	यू0के0आई0
देहरादून	यू0के0जी0	देहरादून	यू0के0जी0
उत्तरकाशी	यू0के0जे0	उत्तरकाशी	यू0के0जे0
गढवाल	यू0के0एल0	गढवाल	यू0के0एल0
उधमसिंहनगर	यू0के0एफ0	उधमसिंहनगर	यू0के0एफ0
हरिद्वार	यू0के0एच0	हरिद्वार	यू0के0एच0
ऋषिकेश	यू0के0आर0	ऋषिकेश	यू0के0आर0
कोटद्वार	यू0के0एन0	कोटद्वार	यू0के0एन0
		विकासनगर	यू0के0ओ0
		रूडकी	यू0के0पी0
		काशीपुर	यू0के0क्यू0

द्वितीय अनुसूची का संशोधन

35 मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दी गयी वर्तमान द्वितीय अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ 2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान अनुसूची** **[नियम 52(2)(दो) देखिये]**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची** **[नियम 52(2)(दो) देखिये]**
आकर्षक रजिस्ट्रीकरण संख्यायें	**आनलाईन नीलामी हेतु अति**

आकर्षक रजिस्ट्रीकरण संख्यायें

क्र0 सं0	रजिस्ट्रीकरण संख्या
1	0001 एवं 0786
2	0002 से 0009
3	0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099
4	0100, 0101, 0111, 0123, 0200, 0202, 0222, 0234, 0300, 0303, 0333, 0345, 0400, 0404, 0444, 0456, 0500, 0505, 0555, 0567, 0600, 0606, 0666, 0678, 0700, 0707, 0777, 0789, 0800, 0808, 0888, 0900, 0909, 0999, 1000, 1001, 1010, 1111, 1212, 1234, 1313, 1414, 1515, 1616, 1717, 1818, 1919, 2000, 2020, 2121, 2222, 2323, 2345, 2424, 2525, 2626, 2727, 2828, 2929, 3000, 3030, 3131, 3232, 3333, 3434, 3456, 3535, 3636, 3737, 3838, 3939, 4000, 4040, 4141, 4242, 4343, 4444, 4545, 4567, 4646, 4747, 4848, 4949, 5000, 5050, 5151, 5252, 5353, 5454, 5555, 5656, 5678, 5757, 5858, 5959, 6000, 6060, 6161, 6262, 6363, 6464, 6565, 6666, 6767, 6789, 6868, 6969, 7000, 7070, 7171, 7272, 7373, 7474, 7575, 7676, 7777, 7878, 7979, 8000, 8181, 8282, 8383, 8484, 8585, 8686, 8787, 8888, 8989, 9000, 9090, 9191, 9292, 9393, 9494, 9595, 9696, 9797, 9898, 9999
5	उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य वांछित संख्या

रजिस्ट्रीकरण संख्या
0001 से 0009 तक, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055 0066, 0077, 0088, 0099, 0100, 0101, 0777, 0786, 0999, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7000, 7070, 7272, 7777, 7979, 8888, 9000, 9191, 9999

प्रपत्र एसआर 43क से एसआर 43ड. तक बढाया जाना

36 मूल नियमावली में प्रपत्र एसआर 43 के पश्चात निम्नलिखित प्रपत्र बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

प्रपत्र एसआर 43क

[नियम 125ख(दो) देखिये]

निष्पादन प्रत्याभूति के लिये बैंक प्रत्याभूति

(आसंजक स्टाम्प युक्त बैंक के लेटर हेड पर)

सेवा में

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

सभी व्यक्तियों को विदित हो कि इस लेख द्वारा .....(बैंक का नाम और पता), जिसका पंजीकृत कार्यालय.....पर स्थित है, (जिसे एतद्पश्चात "बैंक" कहा गया है, परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड जिसे एतद्पश्चात "नियामक" कहा गया है, को रू0.....के) (रू0.....लाख मात्र) की रकम के लिये आबद्ध है, जिसका भुगतान उक्त नियामक को वास्तविक रूप में किया जायेगा। इस लेख द्वारा बैंक स्वयं को, अपने उत्तराधिकारियों और अभ्यार्पितियों को आबद्ध करता है।

चूंकि रेडियो टैक्सी परमिट के कियान्वयन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा.....(प्रचालक का नाम) (जिसे एतद्पश्चात "प्रचालक" कहा गया है) को आशय पत्र संख्या.....दिनांक.....जारी किया जा चुका है और चूंकि प्रचालक द्वारा निष्पादन प्रत्याभूति के रूप में रूपये.....लाख (रूपये.....लाख मात्र) की धनराशि की बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है और चूंकि.....(बैंक का नाम) ने प्रचालक के अनुरोध पर इस प्रत्याभूति, जो एतद्पश्चात अन्तर्विष्ट है, को बिना आपत्ति के देने के लिये सहमति दे दी है।

2– हम और भी निम्न प्रकार सहमत है–

(क) यह कि एतदपूर्व अन्तर्विष्ट प्रत्याभूति पर हमारे बैंक के गठन में या प्रचालक के गठन में किसी परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

(ख) यह कि नियामक और प्रचालक के मध्य परिनिर्धारित कोई लेखा इसके अधीन हमारे विरूद्ध देय धनराशि का निर्णायक साक्ष्य होगा और उस सम्बन्ध में हमारे द्वारा कोई प्रश्न नहीं किया जायेगा।

(ग) यह कि यह प्रत्याभूति यहां पर पूर्व में दी गयी दिनांक से प्रारम्भ होती है और पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगी जो पांच वर्ष तक और बढायी जा सकती है।

(घ) यह कि इसमें प्रयुक्त शब्द "प्रचालक" और "बैंक" के अन्तर्गत जब तक कि ऐसा निर्वचन विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उनके सम्बन्धित उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती भी होंगे।

3– इस बन्धन की शर्तें निम्नवत हैं–

(एक) यदि प्रचालक मांग पत्र में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर रेडियो टैक्सी लाने में विफल रहता है या उससे इन्कार करता है।

(दो) यदि प्रचालक रेडियो टैक्सी योजना के अधीन अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहता है।

हम वचन देते है नियामक, देहरादून, उत्तराखण्ड को उनके प्रथम लिखित मांग की प्राप्ति पर उपर्युक्त धनराशि तत्काल प्रदान करेंगे, जिसमें नियामक अपनी मांग सिद्ध नहीं करेगा परन्तु यह कि नियामक अपनी मांग में घटित शर्त या शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुये यह उल्लिखित करेगा कि उसके द्वारा दावाकृत धनराशि ऊपर (एक) एवं (दो) में उल्लिखित किसी एक या अधिक शर्तों के घटित होने के कारण उसे देय है।

साक्षी के हस्ताक्षर.....
साक्षी का नाम.....
साक्षी का पता.....

बैंक के प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर
बैंक के पदाधिकारी का नाम.....
पदनाम.....
बैंक की स्टाम्प/मुहर

प्रपत्र एसआर 43ख

[नियम 125ड.(1) देखिये]

रेडियो टैक्सी के लिये आशय पत्र /परमिट की स्वीकृति या निर्गमन या नवीकरण हेतु आवेदन पत्र

सेवा में

राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, रेडियो टैक्सी के परमिट के लिये एतद्द्वारा आवेदन करता हूं/करते है।

1 पूरा नाम– .....

2 पिता/पति का नाम
किसी व्यक्ति की दशा में और सहकारी समिति या कम्पनी की दशा में यथास्थिति सचिव या प्रबन्ध निदेशक का नाम– .....

3 आवेदक की प्रास्थिति, (चाहे व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ, सहकारी समिति हो या कम्पनी आदि हो) .....

4 पूरा पता
(एक) स्थायी .....
(दो) वर्तमान .....
(व्यक्ति की दशा में राज्य परिवहन प्राधिकरण की संतोषानुसार राशन कार्ड, विधुत बिल या किसी अन्य वैध दस्तावेजी साक्ष्य की प्रमाणित प्रति द्वारा समर्थित और सहकारी समिति या कम्पनी की दशा में रजिस्ट्रेशन की अभिप्रमाणित प्रति सबूत के रूप में संलग्न करें) .....

5 (एक) वाहन का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह .....
(दो) माडल .....
(तीन) चेसिस संख्या .....
(चार) इंजन संख्या .....
(पांच) वाहन का वर्ग .....
(छः) ले जाये जाने वाले यात्रियों की संख्या .....
(सात) वित्तपोषक का नाम यदि कोई हो जिसके साथ .....

वाहन किराया क्रय करार के अधीन है।

6 मार्ग/क्षेत्र जिसके लिये परमिट वैध है .....

7 क्या विनिर्दिष्टियां रेडियो टैक्सी के अनुसार पूर्ण है .....

8 क्या किराया मीटर में जीपीएस/जीपीएसआर लगा है .....

9 (क) परिवहन व्यवसाय के प्रबन्ध का अनुभव

(ख) आवेदक के नाम से उपलब्ध रेडियो टैक्सी की संख्या(सम्बन्धित रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति द्वारा समर्थित) .....

10 परमिट का विवरण यदि पहले से धारित है .....

11 (क) स्थान जहां आवेदक का मुख्य कार्यालय है तथा उसका विस्तृत पता .....

(ख) स्थान जहां आवेदक की शाखा कार्यालय है और उसका विस्तृत पता .....

(ग) प्रत्येक शाखा कार्यालय में रखे जाने वाले रेडियो टैक्सी की संख्या .....

12 आवेदक के वित्तीय संसाधन की प्रकृति एवं सीमा .....

13 क्या आवेदक ने निष्पादन प्रत्याभूति के लिये बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत कर दी है (यदि हां तो उसका विवरण दें) .....

14 क्या रेडियो टैक्सी योजना के अधीन व्यवसाय करने से सम्बन्धित शर्तें प्रचालक को ज्ञात है? .....

15 क्या आशय पत्र निर्गत होने के दिनांक से एक वर्ष के अन्दर लाये जाने वाले रेडियो टैक्सी से सम्बन्धित प्रवेश समय सारणी को प्रचालक ने प्रस्तुत कर दिया है? (यदि हां तो प्रपत्र संलग्न करें) .....

16 विहित फीस जमा करने का विवरण .....

17 मै एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपरोक्त दिये गये विवरण सत्य एवं सही है।

अतएव मैं/हम वाहन प्रवेश समय सारणी के अनुसार आशय पत्र निर्गत करने का अनुरोध करता हूं/करते है ताकि परमिट की स्वीकृति एवं निर्गमन के लिये वाहनों का प्रबन्ध किया जा सके।

नोट जो लागू न हो काट दें

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रपत्र एसआर 43ग

[नियम 125च(1) देखिये]

परिवहन विभाग उत्तराखण्ड

आशय पत्र

संख्या.....दिनांक.....

सेवा में,

श्री/श्रीमती.....

.....

.....

रेडियो टैक्सी क्रय करने/इनकी व्यवस्था करने हेतु आशय पत्र प्रदान करने से सम्बन्धित आपके आवेदन पत्र, दिनांक.....के संदर्भ में निम्न प्रवेश समय सारणी के अनुसार वाहन लाये जाने के लिये आशय पत्र निर्गत किया जा रहा है–

.....

.....

.....

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त अनुमोदित प्रवेश समय सारणी के अनुसार रेडियो टैक्सियां लाने में असफल रहने की दशा में निष्पादन प्रत्याभूति के रूप में दिये गये बैंक प्रत्याभूति को जब्त किया जा सकता है।

सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

प्रपत्र एसआर 43घ

[नियम 125च (4) देखिये]

रेडियो टैक्सी के लिये परमिट

परमिट संख्या

1–	प्रचालक का नाम	.....
2–	पिता/पति का नाम व्यक्ति की दशा में और सहकारी समिति या कम्पनी की दशा में यथास्थिति उसके सचिव या प्रबन्ध निदेशक का नाम–	....
3	पता	.....
4	व्यवसाय का मुख्य स्थान	.....
5	(एक) वाहन का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (दो) माडल	....

(तीन) चेसिस संख्या .....
(चार) इंजन संख्या .....
(पांच) वाहन का वर्ग .....
(छः) ले जाये जाने वाले यात्रियों की संख्या
(सात) वित्तपोषक का नाम यदि कोई हो जिसके साथ वाहन किराया कय करार के अधीन है।

6 मार्ग/क्षेत्र जिसके लिये परमिट वैध है .....
7 परमिट निर्गत करने का दिनांक .....
8 परमिट के अवसान का दिनांक .....
9 यान के प्रतिस्थापन का दिनांक .....
10 रेडियो टैक्सी के रूप में विशिष्टतायें पूर्ण है .....
11 ले जाये जानें वाले माल की प्रकृति .....
12 परमिट की शर्तें संलग्न है .....

सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकरण
उत्तराखण्ड।

नवीकरण

दिनांक.....से.....तक नवीकरण किया गया।

सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकरण
उत्तराखण्ड।

प्रपत्र एसआर 43ड.
[नियम 125छ(1)(घ) देखिये]
शिकायत–पुस्तिका
(क्रमांकित पृष्ठों के साथ तीन प्रतियों में)

1	शिकायतकर्ता का नाम	....
2	पूरा पता	....
3	प्रचालक का नाम एवं पता	....
4	परमिट संख्या एवं परमिट निर्गत करने वाला प्राधिकारी	....
5	वाहन को किराये पर लेने का दिनांक एवं समय और दिनांक और समय जब वाहन वापस आयी	....
6	वाहन संख्या	....
7	शिकायत संक्षेप में	

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर

प्रतिलिपि

1– राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को रजिस्टर्ड डाक से.....(द्वितीय प्रति)
2– शिकायतकर्ता...(तृतीय प्रति)

प्रपत्र एसआर 49क से एसआर 49ग तक बढाया जाना **37** मूल नियमावली में प्रपत्र एसआर 49 के पश्चात निम्नलिखित प्रपत्र बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

प्रपत्र एसआर 49क
(नियम 169(4) (पांच) देखिये)
प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र में नियुक्त आपरेटर
का ब्यौरा/नमूना हस्ताक्षर

दिनांक.....

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
(प्राविधिक अनुभाग)
परिवहन आयुक्त कार्यालय,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून।

यहां पर प्रस्तावित आपरेटर का पासपोर्ट साइज फोटो जो प्राधिकृत जांच एजेन्सी के स्वामी द्वारा प्रमाणित हो चिपकायें

महोदय,

श्री.....(नाम) पुत्र श्री.....(नाम/पता) हमारे प्राधिकृत एजेन्सी.....
.....(नाम) में दिनांक.....से सेवायोजित है। अनुरोध है हमारी प्राधिकृत एजेन्सी में प्रदूषण जांच करने और "प्रदूषण नियंत्रण में है प्रमाणपत्र" जारी करने हेतु उसे प्राधिकृत आपरेटर के रूप में अनुमोदन प्रदान करें। इस प्रसंग (Context) में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत है–

1– प्राधिकृत एजेन्सी का प्राधिकार पत्र संख्या व दिनांक.....
2– प्रस्तावित आपरेटर का नाम.....
3– प्रस्तावित आपरेटर की तकनीकी योग्यतायें.....
4– प्रस्तावित आपरेटर के नमूना हस्ताक्षर.....
5– प्राधिकृत एजेन्सी स्वामी द्वारा नमूना
हस्ताक्षर प्रमाणित.....
6– प्राधिकृत एजेन्सी में कार्यरत अन्य आपरेटर के नाम–
7– यदि पहले के किसी आपरेटर ने नौकरी छोड दी हो तो उसका ब्यौरा दें–
(एक) पहले के आपरेटर का नाम.....
(दो) नौकरी छोडने का दिनांक.....
8– (एक) प्रदूषण जांच संयंत्र का प्रकार.....
(दो) निर्माता/व्यवसायी के साथ ए0एम0सी0 दिनांक.....तक वैध है।
(तीन) संयंत्र की योग्यता दिनांक.....तक वैध है।

.....
.....

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

भवदीय
प्राधिकृत एजेन्सी के
स्वामी का हस्ताक्षर

संलग्नक

1– स्वामी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित आपरेटर की तकनीकी योग्यतायें।
2– सम्बन्धित जांच संयंत्र के लिये निर्माता द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मूल रूप में।
3– प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा प्रमाणित आपरेटर की दो अतिरिक्त पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।

प्रपत्र एसआर 49ख

[नियम 169क(1) देखिये]

(प्राधिकार पत्र खो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना और दूसरी प्रति के लिये आवेदन पत्र)

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

मैं/हम प्रतिष्ठान का नाम/पता.....स्वामी/स्वामियों के नाम..... एतदद्वारा सूचित करता हूं/करते है कि मुझे/हमें, अपर परिवहन आयुक्त द्वारा दिनांक.....को केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 115 के उपनियम (7) के अधीन प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में कार्य करने के लिये जारी प्राधिकार पत्र संख्या.....निम्नलिखित परिस्थितियों में दिनांक..... .....को खो गया है/नष्ट हो गया है–

.....

.....

2– मैं/हम एतदद्वारा प्राधिकार पत्र की दूसरी प्रति के लिये आवेदन करता हूं/करते है।

3– मैने/हमने विहित फीस.....रूपये रसीद संख्या.....दिनांक.....द्वारा भुगतान कर दिया है।

भवदीय,

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

पता.....

प्रपत्र एसआर 49ग

[नियम 205 क (4) देखिये]

अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट

सेवा में,

.....

.....

महोदय,

दुर्घटना के सम्बन्ध में अपेक्षित रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की जाती है–

1– पुलिस थाना का नामः.....

2– वाद अपराध संख्या/यातायात दुर्घटना रिपोर्ट/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः (प्रतिलिपि संलग्न की जाय)

3– दुर्घटना का दिनांक, समय और स्थानः.....

4– घायल/मृतक का नाम और पूर्ण पताः.....

5– उस चिकित्सालय का नाम जहां से वह अपसारित किया था/की गयी थीः (एक्स रे रिपोर्ट, चिकित्सा विधि रिपोर्ट, शव परीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न की जाय).....

.....

6– यान का रजिस्ट्रीकरण संख्या और यान का प्रकारः..... (प्रतिलिपि संलग्न की जाय)

7– ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण (प्रतिलिपि संलग्न की जाय):.

(क) ड्राइविंग लाइसेंस संख्या और समाप्ति का दिनांकः.....

(ख) ड्राइवर का नाम और पताः.....

(ग) जारीकर्ता प्राधिकारी का पताः.....

(घ) बैच संख्या (सार्वजनिक सेवायान के मामलें में):.....

8– दुर्घटना के समय यान के स्वामी का नाम और पताः.....

9– ऐसे बीमा कम्पनी का नाम और पता जिसमें यान का बीमा किया था और उक्त बीमा कम्पनी के मंडल कार्यालय का विवरणः..... (आवरण टिप्पणी की प्रतिलिपि/बीमा पालिसी का प्रमाण पत्र/रसीद संलग्न की जाय).....

.....

10– बीमा पालिसी/बीमा प्रमाण पत्र की संख्या और बीमा पालिसी/बीमा प्रमाण पत्र की विधिमान्यता का दिनांकः.....

11– यान के रजिस्ट्रीकरण का विवरण (यान का प्रकार):

(क) रजिस्ट्रीकरण संख्याः.....

(ख) इंजन संख्याः.....

(ग) चेसिस संख्या:.....

12– मार्ग परमिट का विवरण:.....
(प्रतिलिपि संलग्न की जाय)

13– ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा पालिसी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और परमिट आदि के सत्यापन के सम्बन्ध में रिपोर्ट:.....
(दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न की जाय)

14– दुर्घटना के समय पर पाये गये या उपस्थित साक्षीगण के नाम और पते:.....

15– की गयी कार्यवाही, यदि कोई हो, और उसका परिणाम (दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न किये जाने हेतु प्रस्तुत किये जाय):.....
.....

संलग्नः (विवरण दीजिए)

दिनांक.....

थानाध्यक्ष/अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी
पुलिस थाना.....

यह सत्यापित किया जाता है कि उक्त रिपोर्ट की विषयवस्तु पुलिस थाना द्वारा की गयी जांच के अनुसार सत्य है।

थानाध्यक्ष.....
पुलिस थाना.....

आज्ञा से

(सी0एस0 नेपलच्याल)
सचिव।